# सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

संस्करण–2

Empowering Dalits'

## दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान

सी–56, सिवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर–302015
टेलिफैक्स : 0141-2703736, 3703923
E-mail : cdrjaipur@gmail.com, rajasthancdr@yahoo.com,
Website : www.cdrjaipur.org

# सामाजिक एवं आर्थिक विकास
# की
# योजनाएँ


दिग्दर्शक
श्री पी.एल.मीमरोठ एडवोकेट

निदेशक
सतीश कुमार एडवोकेट

संकलन कर्ता
श्री गोपाल राम वर्मा एवं श्री मुकेश मेहरा



## दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान

सी–56, सिवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर–302015
टेलिफैक्स : 0141–2703736, 3703923
**E-mail** : cdrjaipur@gmail.com, rajasthancdr@yahoo.com,
**Website** : www.cdrjaipur.org

# सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

© दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति द्वारा प्रकाशित

**प्रथम संस्करण : नवम्बर 2011**
**द्वितीय संस्करण : अक्टूबर 2011**

सहयोग राशि 100.00 रूपये मात्र

मुद्रक : कमला आर्ट प्रिन्टर्स, जयपुर–15

## प्रस्तावना

*पी.एल. मीमरोठ*
मुख्य संरक्षक

*आर.के. आंकोदिया*
अध्यक्ष

*सतीश कुमार*
निदेशक

दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान पिछले कई वर्षों इस बात का प्रयास कर रहा है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याण कारी तथा दलित व वंचित वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जो योजनाएँ व कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं तक पहुँचाई जाये। इस हेतु दलित अधिकार केन्द्र समय–समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता आ रहा है। अब जबकि दलित अधिकार केन्द्र ने सभी योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी इस **'आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं'** नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी व लाभकारी सिद्ध हुई।

दलित अधिकार केन्द्र इस पुस्तिका का द्वितीय संस्करण संशोधित कर प्रकाशित करने जा रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता इस पुस्तिका का पूरा–पूरा उपयोग कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि कार्यकर्ता इस पुस्तिका का उपयोग दलित लाभार्थियों के हित व उत्थान में करेंगे।

इस पुस्तिका के तैयार करने में श्री गोपाल राम वर्मा एवं श्री मुकेश मेहरा ने जो परिश्रम किया है तथा श्री चन्दालाल बैरवा, श्री तारा चन्द वर्मा, सुश्री ग्रिजेश दिनकर एवं सुमन देवठिया ने जा सहयोग दिया है, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं।

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | योजना का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 5 |
| 2 | जननी सुरक्षा योजना | 9 |
| 3 | जननी शिशु सुरक्षा योजना | 13 |
| 4 | मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना | 14 |
| 5 | मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना | 14 |
| 6 | विधवा विवाह उपहार योजना | 15 |
| 7 | सहयोग योजना (विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान) | 18 |
| 8 | डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीयता योग्यता छात्रवृति योजना | 22 |
| 9 | डॉ. अम्बेडकर अनुजाति के लिए राष्ट्रीयत राहत (अत्याचार के शिकार लोगों के लिए) योजना | 25 |
| 10 | डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना | 27 |
| 11 | अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार योजना | 29 |
| 12 | अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना | 29 |
| 13 | अनुजाति एवं जनजाति के अभियान्त्रिकी स्नातकों को प्रशिक्षण योजना | 30 |
| 14 | अनुप्रति योजना | 31 |
| 15 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजनाएं | 32 |
| 16 | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना | 36 |
| 17 | संयुक्त सहायता अनुदान | 40 |
| 18 | निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना | 41 |
| 19 | मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना | 42 |
| 20 | कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय | 42 |
| 21 | वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना | 43 |
| 22 | पालनहार योजना | 44 |
| 23 | डॉ. सविता अम्बेडकर अन्तर्राजातीय विवाह योजना | 45 |
| 24 | इन्दिरा आवास योजना | 46 |
| 25 | मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना | 48 |
| 26 | अनुजा निगम योजनाएं | 53 |
| 27 | सम्बल ग्राम विकास योजना | 54 |
| 28 | एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों के लिए राहत राशि के मापदण्ड | 55 |

# सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्देश्य हैं :–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एंव केरोसीन तेल, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुएं निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आंवटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलेक्टर्स द्वारा तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आंवटन के आधार पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आंवटित वस्तुएं उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाई जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 22991 उचित मूल्य की दूकानें स्थापित है, जिनमें से 5298 शहरी क्षेत्र में एंव 17693 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। राज्य में शहरी क्षेत्र में औसतन 3131 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत है।

## राशन कार्ड :-

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

| योजना (परिवार) | राशन कार्ड का रंग | योजना की पात्रता (योग्यता) |
|---|---|---|
| 1–एपीएल<br>क–डबल गैस सिलेण्डर धारक<br>ख–सिंगल गैस सिलेण्डर धारक | <br>नीला<br>हरा | <br>सामान्य उपभोक्ता<br>सामान्य उपभोक्ता |
| 2–बीपीएल | गहरा गुलाबी | गाम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार। |
| 3–अन्त्योदय अन्न योजना | पीला | ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार। |

## सामजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

### उचित मूल्य दुकानों का आंवटन

उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उचित मूल्य दुकानों के आंवटन के लिए राज्य सरकार के जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति में शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार गठन किया हुआ है।

- **शहरी क्षेत्र हेतु**
  समिति में विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त सम्बन्धित नगर पार्षद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता, उपभोक्ता एंव महिला उपभोक्ता, उचित मूल्य दुकान आंवटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्र हेतु :-**
  समिति में विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता, उपभोक्ता, उचित मूल्य दुकान आंवटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

आंवटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिंशषा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा :–

1. "महिला स्वंय सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एंव बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो"
2. सहकारी समितियों (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)
3. शिक्षित बेरोजगार
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति
5. महिलायें–विधवा एंव परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।
7. बारां जिले की शाहबाद एंव किशनगंज तहसील क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकान सहरिया जाति को आवंटित की जावेगी तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकान आंवटित की जावेगी।

- उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर उचित मूल्य दुकान आंवटित किये जाने का प्रावधान है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 17(1) खा.वि/विधि/08 दिनांक 06.10.09 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16,12 एंव 21 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- उचित मूल्य की दुकानों की नियुक्ति में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। निःशक्तजनों के लिए आरक्षण प्रत्येक वर्ग तथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को किये गये आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही देय होगा

अर्थात 3 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक वर्ग में निःशक्तजनों की उपलब्धता के आधार पर दिया जायेगा।

- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 17(11) खा.वि./विधि/09 दिनांक 22.01.2010 माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2009–2010 के क्रियान्विति हेतु महिला सहकारी समितियों एंव जनजाति क्षेत्रों में लैम्प्स के माध्यम से सहकारिता विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर उचित मूल्य दुकान आंवटित किये जाने हेतु जारी की गई सूची के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित 51 प्रतिशत कोटे में से उक्त उचित मूल्य दुकान आंवटित की जावेगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

- **सतर्कता समितियां :-**

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियो का निम्नानुसार गठन किया गया है :–

- **जिला स्तरीय निगरानी समिति :-**

प्रत्येक जिले में दिनांक 03.09.2009 को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। जिले में पदस्थापित सहकारिता विभाग वरिष्ठतम प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसे तीन गैर सरकारी व्यक्ति जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में गहरी रूचि रखते हैं, वे सदस्य एवं जिला रसद अधिकारी उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगें।

समिति की माह में कम से कम एक बैठक करनी होगी। आवश्यकतानुसार कमेटी एक माह मे एक से अधिक मींटिग भी आयोजित कर सकती है।

- **जिला स्तरीय सतर्कता समिति :-**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति, जिले के समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनित) सदस्य है तथा जिला रसद अधिकारी समिति के सदस्य सचिव है।

- **तहसील स्तरीय सतर्कता समिति :-**

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। जिसमें प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष है, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार उपाध्यक्ष है। शेष स्थानीय निकाय (नगर पालिका) के दो सदस्य, पंचायत समिति के दो सस्दस्य, स्थानीय विधायक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा), सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य, समिति के सदस्य है तथा संबंधित प्रवर्तक निरीक्षक इसके सदस्य सचिव है।

- **उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति :-**

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद, अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्त्ता 2, उपभोक्ता सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी (स्थानीय निवासी) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच अध्यक्ष 1, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक /अध्यापक, सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) उपभोक्ता/ सामाजिक संगठन का कार्यकर्त्ता , पंच 1 सदस्य है।

ये समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली वस्तुओं की आमद, वितरण व्यवस्था और दुकान संचालन पर निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समितियां अलग से गठित हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है।

- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 27.02.2009 को जारी किये हुये हैं।
- शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदक के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां जिले की शाहबाद किशनगंज तहसीलों के लिए अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान किया हुआ है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षक व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियन्त्रिक वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एंव सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, एएनएम, प्रधानाध्यापक अथवा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।
- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एक रूपता की गई है–

| माह | समय |
|---|---|
| 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक | प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक |
| 1 अक्टूम्बर से 31 मार्च तक | प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक |

- साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
- जिले में राशन की दुकान खुलने की तिथि प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख तक नियमित रूप से दुकान खोलने के दिशा निर्देश जारी कर रखे है।

## संशोधित आवंटन आदेश :-

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रंमाक : एफ. 13(1) खा.वि./आवंटन/बी.पी.एल./एएवाई / 2009–10 जयपुर दिनांक 30 मार्च 2010 को उपायुक्त एवं उप शासन सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग ने एक आदेश जारी कर दिनांक 30 मार्च 2010 एवं 1 अप्रेल 2010 द्वारा ए.पी.एल., अन्त्योदय एव बी.पी.एल.योजनाओं में खाद्यान्न (गेहूॅं) का आवंटन माह अप्रेल 2010 से मार्च 2011 तक जारी किया गया था। मई 2010 से 2/– रूपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूॅं प्रति माह प्रति बी.पी.एल /स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न देने के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

# जननी सुरक्षा योजना एक नजर में

## परिचय

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जननी सुरक्षा योजना सितम्बर, 2005 से चल रही है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण का पंजीयन, प्रसव पूर्व उचित देखरेख व अस्पतालों में प्रसवों को बढ़ावा देकर जच्चा व बच्चा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गांव/शहर की चयनित, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवा कर जच्चा–बच्चा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।
- गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कम से कम तीन बार चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से प्रसव पूर्व जाँच करवा लेनी चाहिए। इसी दौरान प्रसव हेतु अस्पताल व परिवहन सेवा का भी चिन्हिकरण कर लेना चाहिए।
- धनुषबाय खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है। अतः पंजीकरण के समय एवं एक माह बाद टिटनेस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए।
- चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताये अनुसार आयरन फोलेक की एक गोली नियमित रूप से भोजन के पश्चात 100 दिन तक खानी चाहिए।
- योजना के वर्तमान स्वरूप में संस्थागत प्रसव कराने वाली हर वर्ग की गर्भवती महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उम्र एवं बच्चों की संख्या की तमाम बन्दिशों को हटा दिया गया है।
- प्रसूता के आगमन/पंजीकरण के पश्चात अस्पतालों एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तत्काल नगद भुगतान की व्यवस्था राज्य में कर दी गई है ताकि भुगतान के लिए लाभान्वितों को दुबारा नही आना पड़े। भुगतान, प्रसव तिथि से 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करना होगा अन्यथा भुगतान अवैध माना जावेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अनटाईड फण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के खातों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। जिसका पुनर्भरण जिला स्वास्थ्य समिति, द्वारा किया जावेगा। ज.सु.यो. रजिस्टर में भुगतान का इन्द्राज कर, जच्चा–बच्चा कार्ड एवं ज.सु.यो. कार्ड पर राशि अंकित कर लिखना होगा– प्रसव प्रश्चात (रू. 1400/1000) भुगतान कर दिया गया है

## योजना के उद्देश्य

1. मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
2. संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना।
3. इस योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों का चयन किया गया है, जो संस्थागत एवं प्रसूता के बीच मध्यस्था का कार्य करेगी।

## जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनी की भूमिका :-

- अपने क्षेत्र की शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर योजना का लाभ दिलवाने हेतु प्रसव पंजीयन एवं जे.एस.वाई (जच्चा–बच्चा) कार्ड बनवाने में सहयोग करेगी।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व 3 बार जाँच टिटनेस के टीके लगवाने एवं आयरन फोलिकएसिड की गोलियां उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगी।
- गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में प्रसव कराने हेतु प्रेरित करेगी।
- संस्थागत प्रसव कराने हेतु सरकारी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय को चिन्हित करने में सहयोग करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर रेफरल चिकित्सालय के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायेगी।
- प्रसूता को प्रसव हेतु चिन्हित संस्था पर ले जाने में सहयोग करेगी तथा संस्था पर प्रसवोपरान्त प्रसूता को डिस्चार्ज किये जाने तक संस्था पर रहकर आवश्यक सहयोग करेगी।
- प्रसव उपरान्त नवजात शिशु को प्रसव के तुरन्त बाद माता का दूध पिलाने हेतु प्रेरित करेगी व 0–5 माह तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाने की सलाह देगी तथा परिवार कल्याण के साधानों के उपयोग हेतु प्रेरित करेगी।
- नवजात शिशु को टीकाकरण करवाने में सहयोग करेगी।
- बच्चे के जन्म एवं माता व बच्चे की मृत्यु की सूचना सम्बन्धित प्रसविका व चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायेगी।
- प्रसवोपरान्त 7 दिवस के अन्दर माता के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करेगी व आवश्यकतानुसार सहयोग करेगी।

**गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्थान अथवा पंजीकरण निजी संस्थान में प्रसवोपरान्त सहायता पैकेज :-**

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | माता हेतु सहायता राशि | आशा सहेयागिनी हेतु पैकेज (रेफरल परिवहन राशि+प्रोत्साहन राशि) | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण क्षेत्र | 1400/– | 600/– (400+200) | 2000/– |
| 2 | शहरी क्षेत्र | 1000/– | 200/– | 1200/– |

नोट :–

- मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों पर प्रसव किये जाने पर प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।
- मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों पर प्रसव किये जाने पर आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।
- सरकारी संस्थान पर सामान्य वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं को ही जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है।

- घरेलु प्रसव का वित्तिय लाभ 500/– रूपये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में केवल बी.पी.एल. कार्डधारी प्रसूताओं को ही देय है।
- बी.पी.एल. परिवार की प्रसूताओं को प्रसव पूर्व (एएनसी) रजिस्ट्रेशन प्रसव के 12 सप्ताह तक किया जाकर अलग से सूची बनायी जाये व प्रसव के 8–10 सप्ताह पूर्व 500/– रूपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये व संस्थागत प्रसव होनें पर बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली राशि में से 500/– रूपये की राशि कम कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र की आशा सहयोगिनी, प्रसविका एवं सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी की होगी। जिसका समय–समय पर खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरिक्षण किया जाकर प्रसव पूर्व 500/– रूपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रसूताओं को रेफरल परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। आशा सहयोगिनी प्रसवपूर्व/प्रसवकाल/प्रसवोत्तर सेवा देने के साथ रेफरल परिवहन सुविधा का अग्रिम रूप से प्रबन्ध करेगी। जिसके लिए 600/– रूपये का प्रावधान योजना में किया गया है। यह राशि दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त 500/– रूपये (400/– परिवहन एवं 100/– प्रोत्साहन राशि) प्रसवापरान्त संस्था प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। दूसरी किश्त 100/– रूपये प्रसवोत्तर सेवायें एवं नवजात शिशु को डीपीटी के तीन टीके 14 सप्ताह तक लगवाने पर सम्बन्धित क्षेत्र की प्रसाविका अथवा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा सहयोगिनियों को शहरी क्षेत्र में प्रथम किश्त 100/– रूपये प्रोत्साहन राशि प्रसवोपरांत संस्था पर ही देय होगी तथा दूसरी किश्त का भुगतान 100/– रूपये प्रसवोत्तर सेवायें एवं नवजात शिशु को 14 सप्ताह तक डी.टी.पी. के तीन टीके लगाये जाने पर सम्बन्धित प्रसविका अथवा चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करेगी।
- किसी कारणवश ग्रामीण महिला के साथ प्रसूता सहयोगिनी नहीं आने की स्थिति में यदि प्रसूता सीधे ही प्रसव हेतु सरकारी संस्था में चली जाती है तो भी प्रसूता को 300/– रूपये की राशि परिवहन सुविधा के रूप में अलग से संस्था प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रसूताओं एवं आशा सहयोगिनियों को चैक द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत तत्काल भुगतान की व्यवसथा राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर दी गई है। अतः प्रसूताओं को प्रसवोपरान्त संस्था पर ही डिस्चार्ज पूर्व चैक द्वारा भुगतान किया जाये, आवश्यकता पड़ने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र अनटाईड फण्ड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पतालों में मेडिकल रिलीफ सोसायटी में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा जिसका पुर्नभरण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा।
- सरकारी संस्थाओं एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों पर प्रसवोपरान्त प्रसूताओं को 24 घण्टे ठहराव सुनिश्चित किया जाये ताकि प्रसवोपरान्त होने वाली जटिलताओं का उपचार समय पर किया जा सके एवं डिस्चार्ज से पूर्व चैक द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर होने वाले प्रसवों का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्र की प्रसविका के माध्यम से नजदीक के प्रा. स्वा. केन्द्र/ब्लॉक प्रा. सेवा केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। भुगतान की राशि चैक द्वारा केवल प्रसूताओं को ही प्रदान की जायेगी एवं भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।
- जननी सुरक्षा योजना के भुगतान का इन्द्राज जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर, भर्ती टिकिट में किया जाकर केश बुक में किया जायेगा।

## सामजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय प्रसूताओं से सामान्य प्रसव होनें पर 500/- रूपये की राशि एवं प्रसव के दौरान जटिलता होने अथवा सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने पर अधिकतम 1500/- रूपये तक की राशि प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राइवेट/निजी संस्थाओं को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज्य सरकार से दिये गये दिशा निर्देशानुसार मान्यता प्रदान करेंगे व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में होने वाले प्रसवों का समय पर भुगतान की व्यवस्था करेंगे तथा उनकी मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
- उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव होने की स्थिति में जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर अलग से लेबर रूम, प्रसव कराने हेतु लेबर टेबल, प्रसूता के विश्राम हेतु रोगी शैया, प्रसव कराने हेतु आवश्यक उपकरण एवं दवाईयां, पानी व बिजली की उचित व्यवस्था एवं प्रसाविका का प्रसव कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होने की स्थिति में ही संस्थागत प्रसव मानकर जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे उपस्वास्थ्य केन्द्रों को, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी, जिनकी सूची जिला स्तर पर तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। बाकी उप केन्द्रों पर की गई डिलेवरी का भुगतान देय नहीं होगा तथा उन डिलेवरियों को Skill डिलेवरी माना जायेगा।

## प्रशासनिक व्यय :-

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुल व्यव का 2 प्रतिशत जिला स्तर पर 1 प्रतिशत एवं संस्था स्तर पर 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय करने का प्रावधान है। इस राशि का उपयोग योजना की मोनिटरिंग, प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय से सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यो में किया जायेगा। जैसे कि जननी सुरक्षा राशि वितरण करने हेतु। अतः 3 प्रतिशत राशि हर जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हस्तान्तरित की जावे परन्तु जिन संस्थाओं में डिलेवरी नही होती हैं उन्हें देय नहीं होगी। इस राशि का खर्च प्रसूता महिलाओं की सुविधाओं एवं व्यवस्था पर खर्च करने के लिए संस्था प्रभारी अधिकृत होंगे।
- कई जगह से यह शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि जननी सुरक्षा योजना कार्ड नहीं बनाने की स्थिति में महिलाओं को पूरा भुगतान नहीं किया जाता हैं तथा प्रसूता का डिलेवरी के समय कार्ड बनाया जाता है जो गलत हैं। यदि कार्ड नही बना है तथा डिलेवरी हेतु महिला अस्पताल में आती है तो उसे पूरा भुगतान किया जावे क्योंकि संस्था में प्रसव होना सबसे बड़ा प्रमाण है।
- यदि किसी भी प्रसूता में डिलीवरी के दौरान कोई जटिलता होती है उस स्थिति में उसे रेफर करने की आवश्यकता है तो उसे संस्था की एम्बूलेंस द्वारा निःशुल्क उच्चतर के अस्पताल में भेजा जायेगा।
- यदि 108 (ईएमआरआई) एम्बेलेंस की सहायता से प्रसूता को सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उस स्थिति में परिवहन व्यव प्रसूता को देय 400/- रूपये कर राशि देय नहीं होगी तथा उसका अलग हिसाब रखा जायेगा जो बाद में ईएमआरआई को भेजा जायेगा।
- सिजेरियन छेदन/जटिल प्रसव हेतु विशेषज्ञ सेवाये :- जिन सरकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु 2000/- रूपये आपरेशन करने वाले सर्जन/स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1500/- एनिस्थेटिस्ट व 500/- रूपये शिशु रोग विशेषज्ञ को भुगतान कर सकते हैं। यह लाभ जिलें के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही निजी संस्थाओं/विशेषज्ञों को देय होगा।
- सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सेवाऐं अन्य सरकारी संस्थान पर प्राप्त किये जाने पर 500/- रूपये की राशि उनके मानदेय एवं परिवहन पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयार कर आवश्यक आदेश जार करेंगे।

# जननी शिशु सुरक्षा योजना

## परिचय

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु बीमारी एवं मृत्यु दर कम करने हेतु प्रसुताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को (30 दिवस तक) निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें एवं महिलाओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

## प्रसूताओं हेतु निःशुल्क प्रावधान

- निःशुल्क संस्थागत प्रसव
- निःशुल्क सिजेरियन प्रसव
- निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य उपयोगी सामग्री
- निःशुल्क जाँच (रक्त, पेशाब, अल्ट्रा सोनाग्राफी इत्यादि)
- निःशुल्क भोजन (अस्पताल में ठहरने पर सामान्य प्रसव में 3 दिन व सिजेरियन प्रसव में 7 दिन)
- निःशुल्क रक्त सुविधा
- निःशुल्क परिवहन (घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, रैफर किये जाने पर उच्च्य सन्दर्भ स्थान तक व वापस घर तक
- सभी प्रकार के यूजर चार्जेज से मुक्त

## बीमार नवजात शिशुओं तक 30 दिवस तक देखभाल हेतु निःशुल्क प्रावधान

- निःशुल्क उपचार
- निःशुल्क दवाइयां व अन्य उपयोगी सामग्री
- निःशुल्कजांच
- निःशुल्क रक्त सुविधा
- निःशुल्क परिवहन (घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, रैफर किये जाने पर उच्च्य सन्दर्भ स्थान तक व वापस घर तक
- सभी प्रकार के यूजर चार्जेज से मुक्त

## प्राईवेट व निजी वाहनों के किराये का भुगतान निम्न दर से किया जायेगा

- 12 किलोमीटर की दूरी तक 125 रूपये
- 12 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दूरी पर 250 रूपये
- 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 250 रूपये के अलावा 7 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा।

इस कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि आशा सहयोगनियों एवं प्रशिक्षित दाईयों एवं जनमंगल जोड़ो को दी जाने वाली प्रेरक राशि के भुगतान का प्रावधान जारी रहेगा।

# मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की गर्भवती महिलाओं को पहली अथवा दूसरी सन्तान होने तक 500 रूपये की नकद राशि प्रसूति सहायता के रूप में प्री–नेटल एवं पोस्ट–नेटल केयर हेतु दी जाती है। जो कि –

- लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का हो
- लाभार्थी की न्यूनतम आयु 19 वर्ष हो
- लाभार्थी राज्य का मूल निवासी हो
- लाभार्थी की उसके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है।

# मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना

2 अक्टूबर 2011 से प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों के अधिकाधिक काम में आने वाली दवाईयों का निःशुल्क वितरण करने के लिए मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई है। इस योजना को लाभ प्रदेश के बी.पी.एल., एपीएल सहित समाज के सभी तबकों को व्यापक स्तर पर मिलेगा। इसके साथ ही मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क ईलाज एवं 60 हजार रूपये वार्षिक आय सीमा तक के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 60000 रूपये तक की चिकित्सा सहायता सुलभ करवाने की योजनाऐं पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगी।

इस योजना के प्रथम चरण में 200 दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2012 से 200 और दवाईया उपलब्ध करवाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सामन्तया रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जायेगी। अत्यावश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुए 7 दिन की दवा दी जा सकती है। लम्बी बीमारी जैसे बल्ड प्रेसर, डायबिटिज, हृदय रोग, मिर्गी, एनिमिया आदि के रोगियों को एक माह तक की दवाइयाँ दी जा सकेंगी। चिकित्सा संस्थानों मे दवा वितरण केन्द्र ओपीडी समय में खुले रहेंगे और मैडिकल कॉलेज अस्पताल व जिला अस्पताल में कम से कम एक वितरण केन्द्र 24 धण्टे खुला रहेगा।

## ऐसे मिलेगी दवा

- इनडोर या आउट डोर में डॉक्टर रोगी को दवा पर्ची की दो प्रति देंगे, एक मरीज के पास तथा दूसरी निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर दी जायेगी।
- इनडोर मरीजों के लिए बैड टिकिट के साथ एक सीट पर फ्री दवा का सम्पूर्ण विवरण मरीज के हस्ताक्षर सहित सम्बन्धित अस्पताल का प्रभारी प्रमाणित करेगा।
- प्रत्येक दवा की मात्रा का अंकन करके पर्ची के अन्त में कुल येाग लिखकर दी गई दवा की प्राप्ति के हस्ताक्षर मरीज से लेंगे।

# विधवा विवाह उपहार योजना

विधवा महिलाओं की वैधव्य अवस्था को समाप्त करने की दृष्टि से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत, वर्तमान पेन्शन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 15,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक संबन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

**पात्रता**

1. आवेदक विधवा हो तथा वेधव्यता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो।
2. इन नियमों के लागू होने से पूर्व उसने पुर्नविवाह नहीं किया हो।
3. विधवा की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो।
4. राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधी से वह राजस्थान राज्य में रह रही हो।
5. विधवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखती हो। (इसमें उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का न होने व आय सम्बन्धी पेंशन की पात्रता शर्ते शामिल हैं।)

**उपहार राशि एंव बजट प्रावधान**

1. विधवा की शादी पर पन्द्रह हजार रूपये की उपहार राशि देय होगी।
2. स्वीकृत उपहार राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदिका को प्रदान की जायेगी।
3. जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की गई उपहार राशि का विवरण (स्वीकृति) प्रतिमाह निदेशालय को भिजवाया जायेगा।
4. निदेशालय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा जिला अधिकारी को आवश्यक बजट का आवंटन किया जायेगा।

**आवेदन प्रस्तुत करने और उपहार राशि स्वीकृत करने की प्रकिया**

1. उपहार राशि प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र "उपहार–क" में आवेदन पत्र विवाह के एक माह बाद तक सम्बन्धित जिले के जिला सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा कराना होगा।
2. आवेदन फार्म जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा सादे कागज पर किया जा सकता है।
3. निहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला अधिकारिता अधिकारी आवेदन का इन्द्राज कार्यालय के रजिस्टर में किया जाकर आवेदन की जांच करायेगा।

4. आवेदन की जांच एक सप्ताह में छात्रावास अधीक्षक से कराई जायेगी।
5. जांच में जांचकर्ता आवेदिका की आयु, पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र, निवास स्थान, आय के साधन (समस्त स्रोतो से आय) आजीविका के सामान, परिवार (कुटुम्ब) के सदस्यों के विस्तृत ब्योरों (राशन कार्ड आदि) का सत्यापन करेगा।
6. ब्योरों के सत्यापन हेतु स्कूल प्रमाण पत्र, नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जन्म पंजीकरण रजिस्टर, विधानसभा की नवीनतम मतदाता नामावली जिसमें आवेदिका का नाम हो या उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु व आय प्रमाण पत्र अथवा सरकारी अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र।
7. विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिये पी.पी.ओ. की प्रमाणित प्रति तथा पुनर्विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ही पर्याप्त होगी। ऐसे मामले में केवल आवेदन तिथि तक पेंशन प्राप्त करने व विवाह सम्बन्धी जांच पर्याप्त होगी।

**स्वीकृतकर्ता अधिकारी**

1. जिले के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता अधिकारी जांच में पात्र पाई गई आवेदिका को देय उपहार राशि 15,000 (पन्द्रह हजार) के भुगतान की व्यवस्था चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के माध्यम से बजट मद 2235–60–102(01)–(05) से आवेदिका को 15 दिवस में भुगतान करेंगें।
2. अपात्र/अस्वीकृत आवेदनों का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित अंकित करेंगे।

राजस्थार सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं के पुर्नविवाह पर उपहार योजना)
आवेदन पत्र

1. आवेदिका का नाम : ..............................................................
2. आवेदिका के स्वर्गीय पति का नाम व पता : ..............................................
3. आवेदिका की आयु (आयु प्रमाण–पत्र संलग्न करे) :...........................................
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (यथा मकान नं. मौहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, कस्बा, जिला आदि) :..............................................................
5. स्वर्गीय पति की मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे) :– ...............................
6. स्वर्गीय पति की मृत्यु का कारण :– ..............................................................
7. समस्त स्रोतों से मासिक आय (विधवा पेंशन प्राप्त नही करने वाली आवेदिकाऐ तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ..............................................................
8. क्या आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है ?हॉ/नहीं
9. यदि हॉ तो पेंशन ऑडर (पी.पी.ओं.संख्या व तिथि :–.............................................
10. आवेदिका के परिवार के सदस्यों का विवरण (राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करे) : ..........

.....................................................................................................................................

11 क्या आवेदिका बी.पी.एल.में चयनित परिवार से है ?हॉ/नही .............................................
12 यदि हॉ तो बी.पी.एल.कार्ड संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करे) :–............................................

प्रस्तावित वर का विवरण जिससे आवेदिका विवाह करना चाहती है :–

1. प्रस्तावित वर क्या पूर्व में विवाहित रहा है?हॉ/नही .............................................
2. यदि हॉ तो पूर्व पत्नी व संतानों का विवरण (यदि है )
3 विवाह तिथि (विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे)
4. आवेदन की तिथि .............................................................................................

आवेदिका के हस्ताक्षर व पूरा नाम पता

---

कार्यालय उपयोग हेतु
(स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र )

प्राप्त सिफारिश के आधार पर श्रीमती ..................................................धर्मपत्नि स्व. श्री ................ ........................निवासी ..............................................का पुर्नविवाह दिनांक ...........................को श्री .............. ....................पुत्र श्री ............................निवासी ....................................................................के साथ किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि रूपये 15,000 हजार रूपये स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मय मोहर

---

भुगतान रसीद

मैंने (श्रीमती) ..........................................श्री ...............................................निवासी ............................. .........से पुनर्विवाह पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि रूपये 15,000 का बैकर्स चैक/ड्रॉफ्ट संख्या ............ ......................दिनांक .............................को प्राप्त कियाा।

हस्ताक्षर आवेदक

# सहयोग योजना
# विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान राशि

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान के रूप में 10,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि उन्हीं विधवा महिलाओं को देय है जिनकी वार्षिक आय रूपये 50,000 से अधिक नहीं हो एवं जिनके परिवार में 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो। अनुदान राशि महिला की 2 कन्या सन्तान के लिये ही देय है।

अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

## पात्रता

1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
2. विधवा की वार्षिक आय रूपये 50,000 से अधिक नहीं हो।
3. परिवार में 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो।
4. उक्त में वर्णित महिला की 2 कन्या सन्तान के लिये ही यह सहायता देय होगी।
5. विवाह योग्य कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आयु का प्रमाण पत्र यदि स्कूल में पढ़ने गई है तो, स्कूल प्रमाण पत्र, यदि स्कूल नहीं गई है तो सरपंच/प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
6. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता कोई भी सदस्य जिसकी आय 10 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह पर भी यह अनुदान राशि देय होगी।

## अनुदान एंव बजट प्रावधान

1. प्रत्येक कन्या (दो से अधिक न हो) की शादी के लिये दस–दस हजार रूपये की राशि व्यय होगी।
2. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर ड्राफ्त द्वारा संबंधित को भिजवाई जाएगी जिसका भुगतान का सत्यापन विधायक/पार्षद/सरपंच/जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य द्वारा कर जिला अधिकारी को भिजवाई जावेगी।
3. जिला अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संभागीय संयुक्त निदेशकों के माध्यम से विभाग को भिजवाया जाएगा।
4. आरक्षित बजट संभागीय संयुक्त निदेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो आवश्यतानुसार अपने संभाग के जिला अधिकारियों को आंवटित कर सकेंगे। आवंटन की सूचना मुख्यालय को दी जायेगी।

**प्रक्रिया**

1. सहायता राशि प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर विवाह होने की तिथि से एक माह पूर्व अथवा छः माह बाद तक की अवधि में जिले के संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एंव समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो वृद्धा अवस्था पेंशन की पी.पी.ओ. की फोटो प्रति संलग्न कर भेजें, यदि प्रमाणीकरण पर्याप्त माना जायेगा।
3. पेंशन प्राप्त न करने की स्थिति में आवेदन पत्र सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद/वार्ड सदस्य (पार्षद), अध्यक्ष, नगर परिषद, महापौर नगर निगम के माध्यम से विधायक/प्रधान की अभिशंषा पर ही राशि स्वीकृत की जायेगी।
4. जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के तथ्यों की जांच विभाग के छात्रावास अधीक्षक (निकटस्थ) अथवा जिला अधिकारी स्वंय द्वारा अथवा जिले के परिवीक्षा अधिकारी अथवा कार्यालय के किसी कर्मचारी से अथवा हल्का पटवारी/ग्रामसेवक (ग्रामीण क्षेत्र में) से अथवा नगरपालिका/नगर कनिष्ठ अभियन्ता से करवाई जायेगी। तत्संबंधी कार्यवाही आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस में पूर्ण की जाकर 15 दिवस में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किया जायेगा।
5. (क) स्वीकृत अनुदान राशि का जिला अधिकारी द्वारा आहरित राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदिका को भिजवाया जायेगा तथा विधायक/सरपंच/जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य के समक्ष भुगतान कर प्रमाणीकरण करवाकर रसीद प्राप्त की जायेगी।
   (ख) यदि किसी विशेष कारण से विधवा के घर पर भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो उसका प्रमाणीकरण क्षेत्रीय विधायक/सरपंच/जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/पंचायत समिति सदस्य द्वारा किया जायेगा।

**नियमों में शिथिलता :-** इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्ण सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या जो, निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी, वहीं अन्तिम एवं बंधनकारी मानी जायेगी। किसी भी विवाद में निदेशक, समाज कल्याण विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

"सहयोग" योजनान्तर्गत सहायतार्थ आवेदन पत्र

(बी.पी.एल.चयनित परिवारों की पुत्री के विवाह के लिए राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत अनुदान)

1. आवेदक का नाम :- ..............................
2. परिवार के मुखिया का नाम :- ..............................
3. पिता/पति का नाम :- ..............................
4. जाति/धर्म :- ..............................

5. निवास स्थान का पूरा पता (मकान नम्बर, मौहल्ला, गली, पोस्ट, ऑफिस, कस्बा, जिला इत्यादि) .
..........................................................................................................................................................

6. बी.पी.एल.में चयनित परिवार सूची में क्रमांक नं. ..............................वार्ड संख्या ...............................
ग्राम .......................................पंचायत समिति...............................वार्ड संख्या...........................................
नगरपालिका/नगर परिषद। नगर निगम..............................जिला .............................................
7. बी.पी.एल.कार्ड संख्या (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करे):– ....................................................................
8. परिवार के सदस्यों का विवरण (राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ...............................
9. आवेदक का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम व पता :– ....................................................
..........................................................................................................................................................

10. विवाह योग्य पुत्री /पुत्रियों का विवरण (जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

11 प्रस्तावित वर/वरों का विवरण : –

12. प्रस्तावित विवाह की तिथि :– ..................................................................................................
13 आवेदन की तिथि :– ....................................................................................................................
14 राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त अनुदान/सहायता/का विवरण (यदि कोई हो )
15 यदि इसी योजना के अन्तर्गत पूर्व में सहायता/अनुदान प्राप्त किया गया है तो उसका विवरण(नाम लाभार्थी/अनुदान राशि/वर्ष ..................................................................................
..........................................................................................................................................................

16. विभाग की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान/सहायता का विवरण (यदि कोई हो) :–......
..........................................................................................................................................................

(हस्ताक्षर आवेदक व पूर्ण पता)

## (अनुशंषा पत्र)

( विधायक / प्रधान / महापौर (नगर निगम) / अध्यक्ष (नगर पालिका / नगर परिषद) / सदस्य पंचायत समिति / जिला परिषद / पार्षद अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र )

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री /श्रीमति ..............................................पुत्र/धर्मपत्नि श्री ......................
.............................निवासी ..........................................................को गत ............वर्षो से जानता /जानती हूँ। यह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (बी.पी.एल.के रूप में चयनित है, जिसका क्रमांक ........... ...............है। आवेदक की पुत्री सुश्री...........................................की जन्म तिथि ..................................है। इसका विवाह श्री .............................................पुत्र श्री ..................................................जन्म तिथि ....................................

निवासी ........................................के साथ दिनांक ........................को होना निश्चित हुआ है। अतः आवेदक /आवेदिका को अपनी पुत्री के विवाह हेतु सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु अनुशंषा करता /करती हूँ।

दिनांक ........................
स्थानः–........................

हस्ताक्षर

नाम व पता व मोहर

(आवेदक का शपथ पत्र )

(शपथ पत्र 10/ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो)

मैं श्री /श्रीमति .......................................................पुत्र /धर्मपत्नि श्री ...........................निवासी ........................ ........................ईश्वर को साक्षी मानकर शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन सत्य हैं, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है। यदि किसी भी चरण पर कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो विभाग द्वारा स्वीकृत राशि जमा कराने के लिए बचनबद्ध हूँ तथा ऐसे कृत्य के लिए विभाग मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा।

दिनांकः–..........................
स्थानः–...............................

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पूरा पता

# अनुसूचित जाति के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के मेधावी छात्रों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता छात्र वृति योजना

## पृष्ठभूमि

- ❖ वंचितों व उपेक्षितों के हक के लिए जीवनपर्यन्त संर्घष करने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का नाम पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाता है। कमजोर वर्ग के एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले बाबा साहेब अपनी कड़ी मेहनत से उच्च पद तक पहुंचे तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहेब ने देश–विदेश दोनों में ही उच्च शिक्षा ग्रहण की। बड़ौदा के महाराजा द्वारा उन्हें प्रदान की गई छात्रवृत्ति बाबा साहेब के जीवन व उनकी उपलब्धियों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। योग्यता को पहचानने तथा छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति (SC) के मेघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।
- ❖ योजना को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा हेतु 'डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति' योजना के नाम से जाना जाएगा।
- ❖ योजना को सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वाधान में वर्ष 1992 में स्थापित डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

## उद्देश्य :-

- ❖ इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति के योग्य छात्रों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन व वित्तीय मदद प्रदान करना है।

## पात्रता :-

- छात्र, अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए।
- पिछले वित्त वर्ष के दौरान छात्रों के परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में परिक्षा दी हो तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त न हो।

## छात्रवृत्ति की संख्या

- ❖ डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित नियमित कक्षा 12 स्तर की परीक्षा में 4 मुख्य विषयों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित व जीव विज्ञान के लिए पृथक) तथा वाणिज्य में सर्वाधिक अंक पाने वाले तीन छात्रों को दी जाएगी।

❖ इस प्रकार, 29 बोर्डों के लिए (तीन अखिल भारतीय बोर्ड सहित) 12 पुरस्कार दिए जायेंगे। यदि एक से अधिक छात्रों को समान अंक प्राप्त होते हैं, तो पुरस्कारों की संख्या को इस प्रकार के सभी पात्र छात्रों को कवर करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

## छात्रवृति की राशि

निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार एक मुश्त अनुदान के रूप में छात्रवृति दी जाएगी

| क्र.स. | योग्यता | विज्ञान | | कला | वाणिज्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मेडिकल | नॉन–मेडिकल | | |
| 1 | अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र | रू. 60,000 | रू. 60,000 | रू 60,000 | रू. 60,000 |
| 2 | द्वितीय अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र | रू. 50,000 | रू. 50,000 | रू 50,000 | रू. 50,000 |
| 2 | तृतीय अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र | रू. 40,000 | रू. 40,000 | रू 40,000 | रू. 40,000 |
| | कुल | रू. 1,50,000 | रू. 1,50,000 | 1,50,000 | रू. 1,50,000 |

यह पुरस्कार किसी अन्य स्त्रोतों से कोई अन्य छात्रवृति पुरस्कार के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

## छात्राओं के लिए विशेष योग्यता छात्रवृति

योग्यता के पहले तीन स्थानों के अलावा प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन छात्राओं को 20,000/ रूपये की दर से " विशेष छात्रवृति" दी जाएगी। छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह अन्य छात्रवृतियों के अतिरिक्त है।

## चयन प्रक्रिया

परीक्षा लेने वाले बोर्ड/ परिषद् छात्र का ब्यौरा (नाम,पता,पारिवारिक आय,अंकों का प्रतिशत, अंतिम स्कूल का ब्यौरा, निकटतम बैंक इत्यादि) प्रारूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर निदेशक डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को संबोधित राज्य सरकार के शिक्षा सचिव की प्रति के साथ भेजेंगे। पारिवारिक आय के उद्देश्य से बच्चे के पिता/अभिभावक अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। सूचना को बोर्ड/परिषद् के सचिव द्वारा गया प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। सूचना को बोर्ड/परिषद् के सचिव द्वारा यथोचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार सत्यापित कर सूची को अगले 15 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान को भेज देगी, यदि समय सीमा के भीतर राज्य सरकार से ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है तो बोर्ड/परिषद् द्वारा प्राप्त ब्यौरे के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

## संवितरण

मान्यता प्राप्त बोर्ड / परिषद् से प्राप्त प्रस्ताव की प्रतिष्ठान में जांची जाएगी तथा बोर्ड / परिषद व अंतिम शैक्षणिक संस्थान को सूचनार्थ खाते में आहरित एक बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, पंजीकृत डाक के माध्यम से सीधे छात्रों को पारितोषित राशि भेज दी जाएगी। पुरस्कार पाने वाले छात्रों को, इस राशि को सावधि खाते में रखने तथा उस पर संचित ब्याज को उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, व्यक्तिगत शैक्षणिक व स्वास्थ्य सम्बंधी व्यय को पूरा करने के लिए धन राशि के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

29 बोर्ड / परिषद् में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र तथा इनमें अधिकतम अंक पाने वाली छात्राओं को प्रत्येक वर्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बुलाया जा सकता है अथवा प्रतिष्ठान संबधित जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त के माध्यम से जैसा भी सुविधाजनक हो, पुरस्कार, विजेता छात्रों को भेज सकता है। यदि प्रतिष्ठान छात्रों को आमंत्रित करता है तो पुरस्कार विजेता व एक साथी को शयनयान रेलगाड़ी / बस, अध्ययन के स्थान अथवा गृह आवास से (दोनों तरफ का) वास्तविक किराया दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ 3000 / रूपये की दर से 20.88 लाख रूपये की राशि व्यय की जाएगी।

इस योजना का कुल वित्तीय प्रवाह 275.66 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से देश के 696 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा तथा योग्यता व शैक्षणिक उत्कृष्टता की पहचान के माध्यम से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पर्याप्त अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यदि योजना के संबंध में कोई संशय उठाए जाते हैं तो इसे डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को संदर्भित किया जाएगा तथा प्रतिष्ठान का निर्णय अंतिम होगा।

### डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृति

**शिक्षा परिषद/बोर्ड का नाम**

यह प्रमाणित किया जाता है कि (संलग्न सूची के अनुसार) अनुसमचित जाति के छात्रों ने वर्ष .................... ...............50% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों ने योग्यता कम में उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12) की परीक्षा इस बोर्ड से , डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हुए उत्तीर्ण की है।

फाइल संख्या एंव दिनांक

सचिव
(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / परिषद)
सत्यापित
सचिव
शिक्षा विभाग..................सरकार
फाइल संख्या एंव दिनांक

प्रति
निदेशक,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
15 जनपथ,
नई दिल्ली –110001

# डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय राहत अत्याचार के शिकार लोगों के लिए योजना

## योजना

देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार जो कि पीडित द्वारा आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियत 1989 के अन्तर्गत दर्ज हो अपराध की श्रेणी गम्भीर हो जैसे बलात्कार, हत्या, आगजनी, स्थाई रूप से विकंलाग होने आदि की स्थिति अत्याचार का शिकार होने पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है।

## पात्रता

- अत्याचार का शिकार व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो।
- अत्याचार करने वाला गैर दलित हो।
- अपराध की श्रेणी गम्भीर हो जैसे बलात्कार, हत्या, आगजनी, स्थाई रूप से विकंलाग होना आदि।
- आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिये।

## सहायता प्राप्त करने का मापदण्ड

आर्थिक सहायता फाउंडेशन के अध्यक्ष के विवेक द्वारा तय की जायेगी जो राशि पीडित/पीडित के आश्रित सदस्य को चैंक या डिमांड ड्राफ द्वारा अदा की जायेगी।

## आवेदन कैसे करे

- आवेदक अनुसूचित जाति की वितीय सहायता के लिए निदेशक डॉ. अम्बेडकर, फाउण्डेशन, 15, जनपथ, नई दिल्ली, के पते पर पहुंच जाना चाहिए।
- आवेदन फार्म के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, शव परिक्षण रिपोर्ट, चिकित्सा या विकलांग प्रमाण पत्र, पीडित की फोटो आदि दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

**डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय राहत अत्याचार के शिकार लोगों के लिए योजना के तहत, मात्रा में राहत का स्केल।**

**(संशोधित स्कीम 2010)**

| क्र.सं. | क्रूरता का स्वरूप | राहत राशि स्वीकृत (लाख मे) |
|---|---|---|
| 1. | हत्या/मौत<br>(क) परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर<br>(ख) नही कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर | <br>5 लाख रूपये<br>2 लाख रूपये |
| 2. | बलात्कार पीड़िता | 2 लाख रूपये |
| 3. | आगजनी, बेघर होने पर | 3 लाख रूपये |
| 4 | विकलांग (पूर्ण और स्थाई विकलांगता के प्रमुख के लिए अर्जन क्षमता की हानि)<br>(क) परिवार का कमाने वाला सदस्य<br>(ख) परिवार का नही कमाने वाला सदस्य | <br><br>3 लाख रूपये<br>1.5 लाख रूपये |

## डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय राहत अत्याचार के शिकार लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का

## आवेदन फार्म

1 पीडित का नाम :– ..........................................................................................

2 पिता/पति का नाम :– ..........................................................................................

3. पीडित की उम्र व जन्म तिथि :– ..........................................................................................

4. जाति धर्म संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है :– ..........................................

5 आवासीय पता :– ..........................................................................................

6. दिनांक और अत्याचार की घटना का स्थान :–..........................................................................................

7. अत्याचार का पूरा विवरण :– ..........................................................................................

8. यदि मामला अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत किया गया है पूरा विवरण दे :– ..........................................................................................

9. पीडित परिवार का कमाने वाला सदस्य था या बिना कमाने वाला सदस्य था लिखे :–......................... ..........................................................................................

10. विकलांगता का स्वरूप स्थाई या अस्थाई पूरा लिखे :– ..........................................................................................

11. अत्याचार होने पर पीडित / परिवार को किन कठिनाईयों का सामना करना पडा:– .......................... ..........................................................................................

12. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से ) :– ..........................................................................................

13. पीड़ित परिवार ने अन्य और कहीं भी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है क्या :– ................. ..........................................................................................

उपरोक्त जानकारी को सत्यापित किया गया है और सही पाया जाने के लिए यह अनुशंसित है कि रूपये की राशि ....................... के रूप में उसको या उसके आश्रितों को मंजूर करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार/एस डीएम/ सक्षम प्राधिकारी

सिफारिश और अग्रेषित

.......................................

जिला मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर/ आयुक्त
रबर मोहर और हस्ताक्षर

## नोट :-

- अगर एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्य अत्याचार के शिकार हैं तो सभी के लिए अलग–अलग फार्म भरें।
- जांच प्रमाणित प्रतियों की रिपोर्ट (एफआई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटो, अत्याचार के स्थान की जानकारी आदि सभी दस्तावेज साथ लगावें।

# डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना

## योजना

यह योजना अनुसूचित जाति के रोगियों के लिए है इसमें चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने की सुविधा दी गई है। जिन मरीजों की वार्षिक आय 50,000 हजार रूपये से कम हो व मस्तिष्क, कैंसर, गुर्दे, हृदय, यकृत सम्बन्धि गंम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं उन मरीजों की आवश्यक सर्जरी व शल्य चिकित्सा के लिए चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ निम्न चिकित्सालयों में ही लागू होती है :–

1 मैडिकल विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया, नई दिल्ली,

2 संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यू, लखनऊ, उतर प्रदेश,

3 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, बिहार,

4 जबलपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर, मध्य प्रदेश,

5 बी बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम,

6 बिरला हार्ट फाउंडेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल,

7 कलिंग अस्पताल Chandrashekharpor लिमिटेड, भुवनेश्वर, उडीसा,

8 टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टिटयूट, मुंबई, महाराष्ट्र

9. आंध्र प्रदेश, निजाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद,

10. स्वच्छिक स्वास्थ्य सेवा, चैन्नई,

11. सभी सी.जी.एच.एस.अस्पतालों अनुमोदित के रूप में से एक से संशोधित मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,

12. सभी राज्य सरकार मेडिकल कालेज शामिल हैं

13. सभी राज्य के अस्पतालों।

14. सभी सरकारी अस्पतालों में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त।

15. सभी राज्य अस्पतालों या पूरी तरह से वित पोषित राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा हो।

16. सभी अस्पतालों सरकार मुख्यालय में जिला/प्रमुख शहरों जहां सर्जरी या अन्य जीवन किसी भी उपचार की सुविधा के लिए किडनी, हार्ट,लीवर, कैंसर रीढ सर्जरी और धमकी रोग सहित घूटने की सर्जरी उपलब्ध है।

## पात्रता

- आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 50,000 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक गम्भीर बीमारी से ग्रस्ति हो जैसे ह्दय, यकृति, केंसर, मस्तिक सम्बन्धि अन्य या कोई जानलेवा रोग से ग्रसित हो ।

## आवेदन करने का तरीका:-

- आवेदक चिकित्सीय सहायता के लिए सम्बद्ध चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र द्वारा प्राप्त कर सकता है।
- प्रार्थना पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इलाज से सम्बन्धित खर्च होने वाली राशि जो कि चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो संलग्न करना आवश्यक है।

## सामजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

- प्रार्थना पत्र स्थानीय सासंद, विधायक, जिला न्यायाधीश, जिला आयुक्त, राज्य के स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण विभाग के इंचार्ज, से प्रमाणित किया हुआ हो।
- नियमानुसार भरा हुआ फार्म शल्य चिकित्सा के 15 दिन पूर्व निदेशक, डॉ. अम्बेडकर, फाउण्डेशन, 15, जनपथ, नई दिल्ली, पहुंच जाना चाहिए।

## भुगतान की प्रक्रिया

इलाज के कुल व्यय का 75 प्रतिशत राशि चिकित्सालय को चैक/डी.डी. द्वारा जिसकी 50 प्रतिशत राशि शल्य क्रिया से पूर्व प्राप्त हो जायेगी। शेष बची राशि शल्य क्रिया के उपरान्त या सम्बन्ध चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित बिल के भुगतान पर अदा की जायेगी। फाउण्डेशन द्वारा या चिकित्सीय सहायता तय की गई सम्भावित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्राप्त किया जाए । सम्भावित व्यय प्रमाण पत्र शल्य चिकित्सा की तिथि भी होनी चाहिए।

### आवेदन फार्म

### सहायता के तहत चिकित्सा आवेदन के लिए फार्म डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना

1. रोगी का नाम :– ..............................................................................
2. माता/पिता /पति/गार्जियन का नाम :– ..............................................................................
3. जाति/अनुसूचित जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ..............................................................................
4. आवासीय पता :– ..............................................................................
5. सेक्स :– ..............................................................................
6. उम्र :– ..............................................................................
7. रोग की प्रकृति :– ..............................................................................
8. सर्जरी की तिथि :– ..............................................................................
9. योजना कवर के नीचे से नाम के अस्पताल कहां है, इलाज यह है, क्या और मांग है :– . ..............................................................................
10. चिकित्सा सहायता मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता लागत में अनुमानित (अस्पताल ऊपर लिखी सूची के अनुसार हो) :– ..............................................................................
11. प्रमाण पत्र सबूत सभी स्रोतों (परिवार की वार्षिक आय के सदस्यों वयस्क सभी के हो संलग्न ) :–..............................................................................
12. क्या आवेदक, स्रोतों से किसी से भी सहायता ली गई है ऐसा अन्य अगर विवरण हो तो लिखें :–..............................................................................

यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास में पूर्णरूप से सच है और कुछ भी तथ्य नही छुपाया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर / कानूनी अभिभावक

(नाम, हस्ताक्षर एवं सचिव कल्याण सामाजिक मुहर की बैठक सांसद / डीएम /डीसी/ द्वारा रोगी की सिफारिश)

# अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार योजना

- योजना का संक्षिप्त परिचय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- लाभान्वित वर्ग :– अनुसूचित जाति एंव जनजाति
- पात्रता :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बार्ड अजमेर की कक्षा 10 एवं 10+2 की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्गों में पृथक–पृथक सर्वोच्य अंक प्रपत करने वाले एक–एक विद्यार्थी को यह सम्मान दिया जायेगा।
- देय सुविधाये:– 51 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र बााब साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर प्रति वर्ष 14 अप्रेल को दिया जाता है
- आवेदन का तरीका :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बार्ड से 10 एवं 10+2 की परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्गो में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेन वाले विद्यार्थियों की सूची मंगवाकर पात्र विद्यार्थियों को सम्मान हेतु विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
- आवेदन कहां किया जाये :– आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन्स फाटक के पास, बाईस गोदाम, जयपुर।
- आवेदन के साथ औपचारिकताएं :– जाति प्रमाण पत्र, परीक्षा प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।

# अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम की ऋण योजना

- योजना का संक्षिप्त परिचय :– इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय अनु.जाति वित्त एंव विकास निगम कार्यालय द्वारा राज्य सरकार की गारंटी के आधार पर अनु.जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं।
- लाभाविन्त वर्ग :– अनुसूचित जाति वर्ग

पात्रता :–

- प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा के दोगुनी सीमा से कम होनी चाहिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 55,000 रूपये वार्षिक है।
- प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- कार्यालय सहकारी समिति सहभागी फर्म भी आर्थिक गतिविधि हेतु पात्र है।

देय सुविधाएं :–

गरीब, बी.पी.एल परिवार को योजना इकाई का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 रूपये का अनुदान एंव स्वीकृत परियोजना अनुसार मियादी ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

- आवेदन का तरीका :– सम्बन्धित जिले के परियोजना प्रबन्धक, अनु.जाति / अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम कार्यालय में उपलब्ध है। लागत 10 / रू.
- आवेदन कहाँ किया जावे :– संबंधित जिले के परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति / जनजाति निगम के जिला कार्यलय में आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन के साथ औपचारिकताएं :– चयनित परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आय प्रमाण पत्र (अनुदान हेतु) जाति प्रमाण पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र (वाहन के मामले में अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस)

# आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभियांत्रिकी स्नातकों को विशेष प्रशिक्षण योजना

- योजना :– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभियांत्रिकी स्नातकों (सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ब्रान्चों में) को विशेष प्रशिक्षण योजना।
- योजना का संक्षिप्त परिचय :– इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभियांत्रिकी स्नातकों (सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शाखाओं में) को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे कि वह निजी क्षेत्र में अपने आपको रोजगार प्राप्त करने योग्य बना सके। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर एंव INFOSYS Co. के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ है। यह प्रशिक्षण शिविर माह मई 2008 में प्रारम्भ हो चुका है। INFOSYS से तकनीकी सहयोग लिया जायेगा एंव मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकें, अध्ययन सामग्री एंव फोटोप्रति की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रारम्भ होने का वर्ष :– वर्ष 2008–09।
- लाभान्वित वर्ग :– आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र।
- पात्रता :– अभियांत्रिकी स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ब्रान्च)
- देय सुविधाएं :– निःशुल्क प्रशिक्षण एंव प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि के अन्तर्गत स्कॉलरशिप के रूप में 6000/–
- आवेदन का तरीका :– मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा विज्ञापन जारी करने पर आवेदन करना होगा।
- आवेदन कहां किया जावे :– मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर ।
- सम्पर्क सूत्र :– निदेशक, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर। विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। फोन नं. 0141–2227498

# अनुप्रति योजना

योजना का संक्षिप्त परिचय :– इस योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

- प्रारम्भ होने का वर्ष :– वर्ष 2004–05 (1 जनवरी, 2005 से प्रभावी)
- लाभान्वित वर्ग :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी।
- पात्रता :–

  आवेदन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।

  वह राजस्थान का मूल निवासी हो।

  अभ्यार्थी के परिवार की अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

  अभ्यार्थी का परिवार आयकर नहीं देता हो।

- देय सुविधाएं :–

अनुदान सहायता

1. प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 75,000 रूपये।

   (25,000 रूपये प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण में पंजीकृत अभ्यार्थी को, 50,000 रूपये निजी कोचिंग संस्थान को जहां अभ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेगां यदि प्रशिक्षण की राशि 50,000 रूपये से कम है तो कोचिंग संस्थान को वास्तविक राशि का ही भुगतान किया जायेगा।)
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार हेतु 25,000 रूपये अभ्यार्थी को।

- **आवेदन का तरीका** :– सादा कागज पर आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।
- **आवेदन के साथ औपचारिकताएं** :–अभ्यार्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एंव मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

फीस भुगतान की मूल रसीद या कोचिंग संस्थान का मांग पत्र।

आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी या पिता / संरक्षक राजकीय / निजी क्षेत्र में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा जारी।

मूल निवास प्रमाण पत्र

- **सम्पर्क सूत्र** :–जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग।

# राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम योजनाएं

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय निगम योजनाओं के लिए चैनेलाईजिंग एजेंसी नामित की है। निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण निम्न परियोजनाओं हेतु उपलब्ध करवाया जाता है :–

महिला समृद्धि योजना, लघु साख योजना, जीप टैक्सी, ट्रेक्टर मय ट्रोली, ऑटोरिक्शा–डीजल, कृषि भूमि विकास, आई.टी.सेन्टर, रेडीमेंट गारमेन्ट शॉप, स्मॉल डेयरी, बैण्ड बाजा, फुटवीयर शॉप, कृषि भूमि क्रय आदि।

**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश :-**

## ऋण प्राप्त करने की निर्धारित पात्रता -

- प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।
- प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिये।
- परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी आय तक होनी चाहिये। गरीबी की रेखा से दुगुनी आय (डबल द पावर्टी लाइन) ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 40,000 एंव शहरी क्षेत्र में रूपये 55,000 वार्षिक आय, आय की यह अधिकतम सीमा है। इससे अधिक आय वाले ऋण प्राप्त नहीं कर सकते।
- प्रार्थी पर किसी भी बैंक, सरकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिये।
- जिस कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है उसके लिए प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त होना चाहिये।

## ऋण स्वीकृति करने हेतु मुख्य दिशा-निर्देश -

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। आवेदन पत्र जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम कार्यालय द्वारा निःशुल्क जारी किये जावेंगे। आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर अनुजा निगम द्वारा आवेदक को रसीद दी जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का इन्द्राज संबंधित पंजिका में किया जावेगा एंव कार्य पूर्ति रिपोर्ट के पश्चात जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की कार्यवाही की जावेगी।
- राष्ट्रीय निगम आय जनित सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिसमें उद्यमी, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र के व्यवसाय हैं।
- प्रार्थी को ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति संवर्ग का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि संलग्न करने होंगे। बी.पी.एल. सर्वे की चयनित सूची के नाम अंकित होने की स्थिति मे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम अथवा निगम अथवा निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण नहीं लिया गया है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रार्थी पर बैंक, सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधिपार ऋण बकाया नहीं है।

- प्रार्थी जिस योजना / कार्य के लिए ऋण लेना चाहता है उसका पर्याप्त अनुभव होना चाहिये।
- ऋण प्रार्थना पत्र की जांच अनुजा निगम से संबंधित जिला कार्यालय स्तर पर ही की जावेगी एंव चयन हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जावेगी। समस्त प्रार्थना पत्रों पर स्क्रीनिंग द्वारा विचार कर स्वीकृति / अस्वीकृति का निर्णय लिया जावेगा, जिसकी सूचना प्रार्थी को दे दी जावेगी।
- जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी का मान्य होगा। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया मान्य होगा।
- प्रार्थी को नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर इस निगम से ऋण प्राप्त करन हेतु एक शपथ पत्र ओथ कमिश्नर / नोटेरी / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।
- ऋण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रार्थी को निम्न प्रकार से जमानत की व्यवस्था करनी होगी।
- रूपये 1.00 लाख तक के ऋण राशि के लिए 2 सरकारी अधिकारी / निगम / बोर्ड के कर्मचारी, आयकर दाता, प्रतिष्ठित व्यक्ति की गारण्टी देनी होगी।
- रूपये 1.00 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए 3 सरकारी शासकीय निगम / बैंक के अधिकारी / कर्मचारी / आयकरदाता अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अन्य विकल्प के रूप में लाभार्थी द्वारा लिये जाने वाले ऋण के डेढ़ गुणा सीमा तक की अचल सम्पत्ति को निगम के पक्ष में परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम के पास धरोहर रखी जा सकती है। यह धरोहर रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति स्वंय लाभानुभागी की या प्रतिभूति देने वाले व्यक्ति की हो सकती है। सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के चुकता नहीं होने तक निगम के पक्ष में धरोहर रखी गयी सम्पत्ति का लाभार्थी / गारण्टी द्वारा बेचान नहीं किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा उसकी इच्छानुसार किसी भी स्थान व फर्म का कोटेशन प्राप्त करने की स्वतन्त्रता होगी व ऋण प्रार्थी के लिए किसी अनुमोदित संसाधन के मेक अथवा स्तर के क्रय करने हेतु प्रार्थी पर अनुचित दबाव नहीं डाला जावेगा।
- ऋण स्वीकृति पश्चात प्रार्थी को नियमानुसार साधन क्रय करने के कोटेशन अनुजा निगम के संबंधित जिला कार्यालय को प्रेषित करने होंगे एंव संबंधित कार्यालय द्वारा सप्लायर फर्म को सीधे ही राशि का चैक जारी किया जावेगा।
- प्रार्थी को देय ऋण राशि रेखांकित चैक द्वारा दी जावेगी।
- कुल लाभार्थियों में से 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का ध्यान रखा जावे।
- योजनान्तर्गत अनुदान राशि नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रूपये एंव शहरी क्षेत्र में रूपये 21,400 वार्षिक आये वाले गरीब व्यक्ति को देय होगी।
- अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान ही अवगत करा दिया जावेगा कि आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण की जानी है। राजकीय कर्मचारी से प्रतिभूति,

जमानत, निगम की सदस्यता, अंशदान पूंजी, नो–ड्यूज प्रमाण पत्र, इकरारनामा, हाईपोथिकेशन डीडी पत्रादि पूर्ण कर जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम को प्रस्तुत करने होंगे तथा इन पर होने वाला समस्त व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

## ऋण प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी

- ऋण प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने हेतु प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन निम्न प्रकार किया जाए –

(अ.) जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी – अध्यक्ष

(ब.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्रकोष्ठ) – सदस्य

(स). महाप्रबन्ध, जिला उद्योग केन्द्र / जिला उद्योग अधिकारी – सदस्य

(द) जिले का लीड बैंक मैनेजर – सदस्य

(य) अनुसूचित जाति वर्ग के दो सामाजिक कार्यकर्त्ता – सदस्य

(र) परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम–सदस्य सचिव

- उपरोक्त समिति आवेदक की पात्रता की जांच एंव परीक्षण कर आशार्थी का चयन करेगी।
- उपरोक्त समिति का कोरम चार सदस्यों का होगा लेकिन इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

## समिति प्रार्थना पत्रों की जांच करते समय निम्न मुख्य बातों का ध्यान रखेगी-

(अ) आवेदक की पात्रता की जांच।

(ब) आवेदक की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करना।

(स) स्वीकृत की जाने वाली इकाई के संचालन हेतु अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एंव अनुभव को देखना।

(द) अनुज्ञा आधारित व्यवसाय हेतु अनुज्ञा पत्र / लाईसेन्स की उपलब्धता को देखना।

(य) लक्ष्य से अधिक पात्र व्यक्ति होने पर उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन।

(र) तकनीकी कार्य संचालन यथा कम्प्यूटर आदि के लिए तकनीकी ज्ञान व अहर्ताओं को देखना।

(ल) आय प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र का परीक्षण करना।

## ऋण राशि व ब्याज दर –

(अ) न्यूनतम ऋण रूपये 15,000 उपलब्ध कराया जाना है।

(ब) उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देय होगी।

(स) राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ब्याज की दर में यदि संशोधन किया जाता है तो संशोधित ब्याज दर प्रभावी होगी।

(द) ऋण राशि पर ब्याज राष्ट्रीय निगम / राज्य निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप वसूल किया जावेगा।

## ऋण वसूली-

(अ) योजनान्तर्गत सुलभ करवायी जाने वाली ऋण राशि की वसूली एल.ओ.आई. में वर्णित व्यवस्थानुसार की जानी है तथापित सामान्यतया ऋण राशि की वसूली समान 20 त्रैमासिक किश्तों में अपेक्षित हैं जो ऋण स्वीकृत/वितरण के आगामी त्रैमास में प्रारम्भ की जानी हैं।

(ब) ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के आशय से संबंधित लाभानुभोगी से पोस्ट डेटेड चैक प्राप्त किये जा सकते हैं एंव चैक बैंक से अनादरित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ऋण वसूल नहीं होने पर संबंधित राष्ट्रीय निगम/राज्य निगम द्वारा प्रभारित उच्च ब्याज दर लागू रहेगी।

## अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दू-

1. इस निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाल प्रत्येक लाभार्थी को 'सी' श्रेणी का सदस्य बनाना होगा, सदस्यता हेतु निम्नानुसार राशि ली जाकर निगम मुख्यालय भिजवानी होगी–निगम से ऋण प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा स्वंय के अंशदान ऋण राशि का 2 प्रतिशत शेयर मनी के रूप में जमा कराने होंगे जो कि 10 के गुणक में होंगे। प्रवेश शुल्क न्यूनतम 1 रूपये व अधिकतम 100 रूपये होगा।
2. ऋण से क्रय की गई सम्पत्ति/संसाधन का लाभार्थी को स्वंय के खर्चे से वास्तविक कीमत का संयुक्त बीमा नियमानुसार करवाना होगा। ऋण से अर्जित सम्पत्ति पर "एन.एस.एफ.डी.सी. के सौजन्य से" अंकित करवाना होगा तथा इस पर होने वाला व्यय लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
3. ऋण से अर्जित सम्पत्ति जिसका कि निगम के पक्ष में रहननामा/बन्धक निष्पादित किया गया है, को लाभार्थी किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा और ना ही अन्य व्यक्ति को बेच सकेगा जब तक कि प्रदत्त ऋण और ब्याज पूर्ण रूप से चूका नहीं दिया जाता है।
4. ऋण की किश्तों का चुकाना समय पर नहीं करने पर अवधिपार ऋण मूल व ब्याज दण्डनीय निर्धारित दर से वसूल किया जावेगा तथा समस्त वसूली खर्च लाभार्थी को वहन करने होंगे।
5. लाभार्थी एंव अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम के जिला कार्यालय के बीच उत्पन्न विवाद का न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला होगा।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों में से किसी भी समय परिवर्तन/संशोधन अथवा नई शर्त जोड़ने का निगम मुख्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।
7. संसाधन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के अधिकतम एक माह के भीतर संसाधन का भौतिक सत्यापन जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम के स्वंय के द्वारा किया जावेगा। संसाधन उपलब्ध नहीं पाये जाने पर गहन पूछताछ की जावेगी और संसाधन का दुरूपयोग/खुर्दबुर्द होना सिद्ध होता है तो तत्काल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी जावेगी।

# पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए 'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना' 14 अगस्त, 2006 से राजस्थान राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जनश्री बीमा योजना' के रूप में योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिये बी.पी.एल. सर्वे 2002 एंव शहरी क्षेत्र के लिए बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित परिवारों के लिए प्रारम्भ की गई है।

'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना' के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्तर्गत है। मूल रूप से यह योजना राज्य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रारम्भ की जा रही हैं। योजनान्तर्गत बीमित परिवार के बिमित सदस्य की प्रीमियम राशि 100 रूपये प्रतिवर्ष का राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा।

योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार होगा। योजना के लागू होने के साथ ही 'राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना' जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मात्र 10,000 रूपये की सहायता दिये जाने की व्यवस्था थी, समाप्त हो जायेगी तथा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिए अधिक लाभप्रद हैं, उस योजना का स्थान लेगी।

## राज्य सरकार की कार्यकारी एजेन्सी –

1. योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
2. योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग एंव शहरी क्षेत्र में प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार की होगी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक एंव शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी /आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति के परिवार को लाभ दिलाने के संबंध में आवश्यक दावा आवदेन पत्र / छात्रवृति आवेदन पत्र, सुचनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा एंव योजना से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण करेगा।
4. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदन पत्रों / छात्रवृति आवेदन पत्रों की सूचना सम्बन्धित पंचायत समिति में आयोजित होने वाली मासिक बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिनकी समीक्षा कर विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम से परिवार को बीमा एंव छात्रवृति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

5. ग्राम सेवक के पदस्थापन नहीं होने, अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध न होने की स्थिति में योजनान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति का विकास अधिकारी राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा।
6. शहरी क्षेत्रों में जिला परियोजना/परियोजना/ नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह आयोजित बैठकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदन पत्रों/छात्रवृति आवेदन पत्रों की सूचना प्रस्तुत करेंगे। जिनकी समीक्षा कर जिला परियोजना/परियोजना/नोडल अधिकारी जीवन बीमा निगम से प्रतिमाह निस्तारण की कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार कर बीमित व्यक्ति के परिवार को निःशुल्क बीमा एंव छात्रवृति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

**भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय का पता** – इस योजना के अन्तर्गत बीमा विकल्प पत्र, बीमा दावा आवेदन पत्र, छात्रवृति आवेदन पत्र भेजना एवं पत्र व्यवहार भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एंव सामूहिक बीमा इकाई, जीवन प्रकाश भवन, द्वितीय तल, भवानी, सिंह रोड़, जयपुर से किया जायेगा।

## बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति को बीमा लाभ :-

1. पात्रता :– राजस्थान सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार का मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष (दोनों तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्मदिन पर) के बीच की हो। ऐसे परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम (सबसे बड़ा) व्यक्ति पात्र होगा। मुखिया का यह भी विकल्प होगा कि वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये। मुखिया द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया विकल्प पत्र योजना लागू होने के तीन माह की अवधी में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक या सम्बन्धित नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए। जो व्यक्ति विकल्प दे रहा है तथा जिसका बीमा प्रस्तावित किया गया है, वह दोनों ही व्यक्ति उस विकल्प के बीमा कार्यालय में पहुंचने के समय तक जीवित होने चाहिए।
2. **आयु का प्रमाण** – बी.पी.एल.सूची में जो आयु अंकित होगी वही मान्य जायेगी। बी.पी.एल. सूची के प्रकाशन की दिनांक को मानी जायेगी। बी.पी.एल. सूची में आयु अंकित नहीं होने पर मतदाता सूची में अंकित आयु/मतदाता पहचान पत्र में अंकित आयु / राशन कार्ड में अंकित आयु जो भी उपलब्ध हो, मान्य होगी।
3. **मनोनयन** – बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी अथवा पति को बीमा राशि भुगतान करने के लिए मनोनीत माना जायेगी। बीमित व्यक्ति की पत्नी / पति के जीवित नहीं होने पर बीमित व्यक्ति के परिवार कार्ड में अंकित सबसे बड़ी सन्तान को मनोनीत माना जायेगा। बीमित व्यक्ति की पत्नी अथवा पति या किसी बच्चे के जीवित नहीं होने की स्थित में बी.पी.एल. परिवार की सूची में अंकित ऐसे परिवार के सबसे बड़े सदस्य का स्वतः नामितीकरण (नोमिनेशन) का प्रावधान है।
4. **हित लाभ** –

   इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्न लाभ देय होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।

## सामजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30 हजार रूपये।
(ब) दुर्घटना होने की स्थिति में –

- मृत्यु होने पर 75 हजार रूपये।
- स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार रूपये।
- 2 आंख या 2 हाथ/पैर या एक आंख व एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 75 हजार रूपये।
- एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 37 हजार 500 रूपये।

यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी पूर्ण अपंगता/आंशिक अपंगता का अर्थ मृत्यु अथवा अपंगता से है, जो कि दुर्घटना होने से 3 कलेण्डर माह के मध्य की हो। इसमें कोई जानबुझकर स्वंय को पहुंचाई गई चोट, आत्महत्या का प्रयास अथवा शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध, शिकार के कारण लगी चोट, पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्यु सम्मिलित नहीं है।

### प्रक्रिया –

1. राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जायेगी।
2. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत दावापत्र मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। यह प्रपत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक एंव शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति से स्वंय पूर्ण कराकर भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय को भेजा जायेगा। नामित व्यक्ति द्वारा बैंक मे बचत खाता खुलाकर प्रपत्र में खाता संख्या/बैंक का नाम अंकित करना होगा। जीवन बीमा निगम द्वारा नामित व्यक्ति के खाते में बीमा राशि का चैक भेजा जायेगा। विलम्ब की स्थिति में दावा जीवन बीमा निगम द्वारा अस्वीकार करने पर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सेवक एंव शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

### दावा प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. मृत्यु प्रमाण पत्र–समस्या एंव दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर।
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट– दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट –दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में।
4. पुलिस अंवेषण रिपोर्ट–दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में।
5. अधिकृत सरकारी चिकित्सक द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र–दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता (अ) स्थायी पूर्ण अपंगता (ब) अंगों की हानि/दृष्टिहीनता।
6. आयु के साक्ष्य के रूप में उक्त के बिन्दू 6(2) में अंकित दस्तावेज के संबंधीत भाग की फोटो प्रति ग्राम सेवक/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा सत्यापित कर संलग्न की जाए।
7. अपंगता की स्थिति में सादा कागज पर प्रार्थना पत्र जिसमें अपंगता का विवरण अधिकृत सरकारी

चिकित्सक द्वारा जारी अंपगता प्रमाण पत्र के साथ, बैंक खाता नम्बर तथा बैंक का नाम, पता भरकर ग्रामसेवक/अधिशाषी अधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाया जावे।

## बीमित व्यक्ति के बच्चों को छात्रवृति :-

1. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत सभी बिमित सदस्यों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से इस योजना के साथ छात्रवृति भी देय है।

2. छात्रवृति हेतु पात्रता :–

(अ) बीमित सदस्य के 9 वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को देय है।

(ब) अभिभावक का इस योजना के अधीन बीमित होना आवश्यक है।

(स) छात्र के अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृति का भुगतान देय नहीं है।

## छात्रवृति का लाभ :-

(अ) रूपये 100 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा रूपये 300 प्रतिछात्र प्रति तिमाही के आधार पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये प्रतिछात्र किन्तु अधिकतम 4 वर्षों के लिए देय है।

(ब) छात्रवृति का भुगतान शैक्षणिक सत्र जून से मई तक की अवधि के लिए किया जाता है। छात्रवृति बीमा योजना प्रारम्भ होने की अगली तिमाही अर्थात् माह सितम्बर, 06 से अगस्त, 07 तक 12 महीनों के लिये देय होगी।

## प्रक्रिया :-

(अ) छात्रवृति हेतु कोई प्रीमियम देय नहीं है। ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र में विद्यालय के संस्था प्रधान बीमित व्यक्ति के छात्रों के छात्रवृति आवेदन फार्मों को पूर्ण करा कर सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर स्थित कार्यालय को भिजवायेंगे।

(ब) छात्रवृति योजना में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक हैं।

(स) जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बिमित परिवार के छात्रों हेतु छात्रवृति की राशि चैक से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाई जायेगी, जो प्राप्त छात्रवृति राशि का सम्बन्धित छात्रों को भुगतान करवा के उपयोगिता प्रमाण पत्र जीवन बीमा निगम जयपुर कार्यालय को भिजवायेंगे।

# संयुक्त सहायता अनुदान

निर्योग्य व्यक्तियों को राजस्थान वित्तीय सहायता नियमों के अन्तर्गत कृत्रिम अंग/उपकरण एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता :–

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. प्रार्थी को मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्योग्य प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
3. प्रार्थी जो किसी रोजगार में हो अथवा स्वरोजगार में लगा हुआ हो एवं उसके परिवार सहित समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 25,000 रूपये से अधिक न हो।

अनुदान :–

कृत्रिम अंगों तथा सहायक उपकरणों एवं आजीविका अर्जित करने में समर्थ बनाने तथा समाज के उपयोगी सदस्य बनाने की दृष्टि से स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक उपकरण, औजार, मशीन एवं कच्चा माल आदि प्राप्त कर स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता राशि अधिकतम 5000 रूपये स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत अधिकारी :–

- ❖ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।
- ❖ स्वंय सेवी संस्थाओं की भूमिका :–
- ❖ स्वयं सेवी संगठन निःशक्तों के शिविरों के आयोजन करने हेतु निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग , उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

क्षेत्र :–

सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है।

सम्पर्क सूत्र :–

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं सम्बन्धित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी।

# नि:शक्त व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना

निःशक्त व्यक्तियों को जो स्वयं आजीविका कमाने में असक्षम है, आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

पात्रता :–

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हों और स्थाई रूप से राजस्थान में निवास करते हों ।
2. जिसकी आयु 8 वर्ष या इससे अधिक हो।
3. व्यक्ति नि–शक्त हो जिसके फलस्वरूप अपनी आजीविका कमाने में असक्षम हो।
4. उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नही हो (20 रूपये मासिक तक पेंशन को इन नियमों के अन्तर्गत कोई साधन नही माना जावेगा।
5. यदि ऐसे व्यक्ति के परिवार में पुत्र, पौत्र, पति, पत्नी, पिता, भ्राता, पितामह, में से एक या अधिक सम्बन्धि 20 वर्ष या अधिक आयु का हो, जो स्वयं आजीविका कमाने योग्य हो तो वह पेंशन पाने का अधिकारी नही होगा।

पेंशन :–

पेंशन की दर 400 रूपये प्रितिमाह है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से राज्य /केन्द्र सरकार या प्राईवेट संस्था से 400 रूपये से कम पेन्शन या जीविका भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो शेष राशि इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकेगी।

सम्पर्क अधिकारी :–

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, पंचायत समिति/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रार्थना पत्र :–

प्रार्थना पत्र निर्धारित फॉर्म (जो तहसीलदार, पंचायत समिति, नगर पालिका, विभागीय कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

क्षेत्र :–

योजना सम्पूर्ण राजस्थान के लिए लागू है।

सम्पर्क सूत्र :–

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं सम्बन्धि जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी ।

# मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना

- **योजना का संक्षिप्त परिचय** :– भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एंव पुनर्वास योजना (एस. आर.एम) प्रारम्भ की गई है।
- **प्रारम्भ होने का वर्ष** :– 09.01.2007
- **लाभान्वित वर्ग** :–स्वच्छकार वर्ग एंव उनके आश्रित
- **पात्रता** :– वे स्वच्छकार एंव उनके आश्रित जिन्हें पुनर्वास के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों से उनकी आय को ध्यान में रखे बिना अभी सहायता प्रदान की जानी हैं, सहायता के पात्र हैं।
- **देय सुविधाएं** :– 25000/–रू. की लागत वाली परियोजना के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 12500/– रू का अनुदान देय है। एंव 25000/– से अधिक लागत वाली परियोजना के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 12500/– रू. अनुदान देय है।
- **आवेदन का तरीका** :– जिला स्तर पर निगम कार्यालय, से आवेदन फार्म निःशुल्क प्राप्त कर जमा करावें।
- आवेदन कहाँ किया जावे :– जिला स्तर पर निगम कार्यालय
- **आवेदन के साथ औपचारिकताएं** :– स्वयं का फोटो, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
- सम्पर्क सूत्र :– जिला स्तर पर निगम कार्यालय।

# कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय

- **संक्षिप्त परिचय** :– दुर्गम क्षेत्रों की कभी भी नामांकित न होने वाली व ड्रॉप आउट, एस.सी., एस.टी. एवं अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी.पी.एल वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश।
- **पात्रता** :– ब्रिज कोर्सेस से कक्षा 5 उत्तीर्ण एंव ड्रॉप आउट बालिकाएं।
- देय सुविधाएं :– विद्यालय में हॉस्टल सुविधा, भोजन, ड्रेस, स्टेशरी आदि की निःशुल्क व्यवस्था।
- **आवेदन का तरीका** :– सादा कागज कर आवेदन पत्र (संलग्न है)
- **आवेदन कहां किया जावे** :– जिला परियोजना समन्वयक/बी.आर.सी.एफ कार्यालय (सीकर एंव झुन्झुनूं को छोड़कर समस्त जिले)
- आवेदन के साथ औपचारिकताएं :–
    - ब्रिज कोर्स में पढ़ने का प्रमाण पत्र
    - विद्यालय छोड़ने का कारण सहित प्रमाण पत्र
    - बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
    - जाति प्रमाण पत्र
- **सम्पर्क सूत्र** :– राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एंव जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान समस्त जिले (सीकर एंव झुन्झुनूं को छोड़कर)

# वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन

- पात्रता :–

  निम्नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला या किसी भी आयु की विधवा को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है :–

  - राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथि को कम से कम तीन वर्ष की अवधी से राजस्थान में रहता हो।
  - जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
  - उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
  - गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एंव सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) एंव किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहां पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
  - सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय का इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

पेंशन लाभ –

| | |
|---|---|
| 75 वर्ष के कम आयु के पेंशनर्स | 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
| 75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स | 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
| पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोंनो ही 75 वर्ष से कम हो | 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
| पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दम्पत्ति में से किसी ऐ की आयु 75 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर | 1250 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
| पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दम्पत्ति में से किसी एक ही भी आयु 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हो | 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
| किसी भी आयु की विधवा | 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन |

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एंव शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एंव जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

# पालनहार योजना

पालनहार योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों (जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो चूकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु–दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चूकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो) को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एंव अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसे दिनांक 01.08.05 से सभी जातियों के अनाथ बच्चों हेतु लागू कर दिया गया है।

पालनहार योजनान्तर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ऐसे अनाथ बच्चों को विभाग द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।

प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एंव अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।

पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर विभागीय जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2007–2008 में योजना का विस्तार करते हुए निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों को भी सम्मिलित करते हुए संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 को जारी किये गये। वर्ष 2009–11 में आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 द्वारा योजनान्तर्गत कुष्ठ रोग–एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान को भी सम्मिलित किया गया हैं।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

**पालनहार योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि स्वीकृत हेतु अनुदान आवेदन पत्र**

1. पालनहार का नाम :–..............................................................
2. पिता/पति का नाम :–..............................................................
3. आयु :–..............................................................
4. निवास स्थान का पूरा पता (यथा मकान नम्बर, मौहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला) :–.....
   ..............................................................
5. मासिक आय (समस्त स्त्रोत्रों से):–..............................................................
6. अनाथ बच्चों का विवरण :–..............................................................

| नाम व जाति | लिंग | आयु | शिक्षा | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |

7. अनाथ बच्चे के माता–पिता/पिता का पूर्ण विवरण

| नाम | पता | मृत्यु के समय आयु | मृत्यु का कारण | अन्य |
|---|---|---|---|---|

8. अनाथ बच्चे के माता–पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण
(यथा खेती, मकान / दुकान / बैंक खाता आदि) :–...............................................
9. संलग्नक
   - पालनहार का आय प्रमाण पत्र (निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिला हेतु पी.पी.ओ.)
   - माता–पिता / पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र
   - अनाथ बच्चों की जाति का प्रमाण–पत्र
   - सरपंच / वार्ड पार्षद का प्रमाण–पत्र (जिसमें बच्चों का अनाथ होना व पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो।)
   - अनाथ बच्चों के विद्यालय का प्रमाण–पत्र (छात्र / छात्रा के पढ़ने की स्थिति में)

हस्ताक्षर
पालनहार का नाम व पता बालक से रिश्ता

## डॉ. सविता अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना

इस योजनान्तर्गत लड़की अथवा लड़का में से कोई एक आवेदन कर्ता अनु.जाति का हो तथा लड़का अथवा लड़की में से कोई एक हिन्दू हो तो विवाह के दो साल के अन्दर आवेदन करने पर 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

- प्रारम्भ होने का वर्ष :– वर्ष 2006
- लाभान्वित वर्ग :– अनुसूचित जाति वर्ग।
- पात्रता :–
  1. राजस्थान के स्थायी निवासी एंव स्थायी रूप से निवास करते हैं।
  2. वर की आयु 21 वर्ष एंव वधू की आयु 18 वर्ष से कम ना हो।
  3. लड़की अथवा लड़के में से कोई एक आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति का हो तथा लड़के अथवा लड़की में से कोई एक सवर्ण हिन्दू हो।
- देय सुविधाएं :–प्रत्येक विवाह पर विवाह के दो साल के अन्दर आवेदन करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- आवेदन का तरीका :– निर्धारित आवेदन पत्र में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग में जमा करावें।
- आवेदन कहाँ किया जावे :– सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारिता, से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन के साथ औपचारिकताएं :–

1. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
2. जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
3. आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
4. राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित संयुक्त फोटो।

- सम्पर्क सूत्र :– सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग।

# इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई)

परिचयः–

मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है। आवास के अभाव में किसी भी गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की परिकल्पना नही की जा सकती । विकास के लिए आवास की महत्ता एवं ग्रामीण गरीब लोगों के लिए अच्छे एवं उन्नत किस्म के मकानों की आवश्यकता को महसूस करते हुए उनकी आवास योजना श्शुरू की गई थी। यह योजना, जो जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

1999–2000 से जीर्ण–शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारने के लिए प्रावधान के साथ–साथ गरीबों के कतिपय वर्गो को सब्सीडी के साथ ऋण देकर उनके लिये आवास बनाये जाने के लिए भी योजना प्रारम्भ की गई । इस प्रकार वर्तमान में इंदिरा आवास योजना 3 भागों में चलाई जा रही है :–

1. इंदिरा आवास योजना (नये आवास निर्माण)
2. इंदिरा आवास योजना (कच्चे एवं अर्द्व निर्मित आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत करना)
3. ऋण एवं अनुदान योजना (नये आवास निर्माण हेतु सहायता के साथ–साथ बैंकों से ऋण दिलाकर नये आवास निर्माण कराना)

उद्देश्य :–

इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति / जनजाति, मुक्त बंधुवा मजदूरों के सदस्यों तथा गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण / क्रमोन्नत में मदद करना है।

मुख्य बिन्दुः–

- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती है।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन का कम से कम 80 प्रतिशत राशि नये आवास निर्माण पर तथा 20 प्रतिशत राशि कच्चे आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत करने तथा ऋण एवं अनुदान योजना पर व्यय का प्रावधान है। किन्ही विशेष परिस्थितियों में अगर क्रमोन्नत एवं ऋण एवं अनुदान योजना हेतु आवंटित राशि व्यय नही हो पाती है तो इस राशि का उपयोग नये आवास निर्माण पर किये जाने का प्रावधान है।
- ऋण एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत / ऋण निम्न शर्तों पर दी जाती है :–

(1.) ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय मात्र 32,000 रूपये तक है।
(2.) योजना के अन्तर्गत सब्सीडी की सीमा 12500 रूपये प्रति परिवार होगी ।
(3.) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण ऋण की अधिकतम सीमा मात्र 50,000 रूपये होगी।

- मकानों को आवंटन लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य के नाम किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर यह पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से किया जा सकता है। यदि बी.पी.एल.परिवार में कोई योग्य महिला उपलब्ध नही है तो परिवार के पुरूष सदस्य के नाम आवास स्वीकृत किया जा सकता है।
- एक वित्तीय वर्ष के दौरान आई.ए.वाई. के कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे

अनुसूचित जाति/आनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आवासीय इकाईयों के निर्माण/क्रमोन्त के लिए तथा अधिकतम 40 प्रतिशत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए व्यय किया जाता है।

- लाभार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं आवास निर्माण करा सकता है।
- 3 प्रतिशत निधियां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए निर्धारित है।
- राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आवास निर्माण हेतु 50,000 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- आवास में निर्धूम चूल्हे और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी की जाती है।
- विशेष परिस्थितियों में यदि लाभार्थी निर्धूम चूल्हें एवं स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं करा पाता है तों उसे क्रमंशः 100 रूपये एवं 600 रूपये की सहायता राशि कम दी जाती है।
- अर्द्व निर्मित/ कच्चे आवासों को क्रमोन्नत करने के लिए आवास 12500 रूपये सहायता राशि दी जाती है। जिसमें स्वच्छ शौचालय एवं निर्धूम चूल्हें के निर्माण की राशि भी सम्मिलत है।
- पंचायत स्तर पर लाभार्थी का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाना आवश्यक है।

**चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है:-**

1. मुक्त बुधुवा मजदूर ।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो अत्याचारों से पीडित है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं तथा अविवाहित महिलाऐं है।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगे से पीडित है।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य परिवार।
6. कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा/ अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाऐं/ परिवार।
7. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार।
8. शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।
9. अर्द्वसैनिक बलों के भूतपूर्व तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी।
10. विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये व्यक्ति, खानाबदोश/अर्थ खानाबदोश तथा निर्देष्ट आदिवासी, श्शारीरिक/मानसिक अपंग सदस्यों वाले परिवार, बशर्ते कि ये परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हो (बिन्दु संख्या 6 के अतिरिक्त) ।

- मकानों का आवंटन :– जिलों को आवंटित इन्दिरा आवास के लक्ष्यों में से प्रत्येक पंचायत को (जिला स्तर पर रिजर्व पूल हेतु निर्धारित लक्ष्यों को छोडकर ) लक्ष्य आवंटित किये जाते है।
- जिले हेतु कुल लक्ष्यों को सामान्य : समान रूप से आवंटित किया जाता है।
- अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। अब ग्राम पंचायत स्तर से आवास स्वीकृत किये जा सकते हैं।

# मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना

यह योजना 2011–12 से 2013–2014 तक लागू रहेगी और आगामी वर्षों में लगभग 6 लाख 80 हजार ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अलावा इन्दिरा आवास योजना पूर्व की भांति चालू रहेगी।

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों,अल्पसंख्यकों एवं गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण परिवारों को इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर वित्तीय सहायता देकर नवीन आवासीय इकाईयों के निर्माण में मदद। लाभार्थी को यह राशि नवीन आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता के रूप में ''इंदिरा आवास योजना'' की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

लक्षित समूह

योजनान्तर्गत आवासों के लिए लक्षित समूह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों, अल्पसंख्यकों एवं गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युद्ध में मारे गये सशस्त्र/ अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवाएं तथा सम्बन्धियों (उनके आय मानदण्ड पर ध्यान दिये बिना), अन्य शर्तों को पूरा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य हैं।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग लाभार्थियों के लिए निधियों का निर्धारण

- एक वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे के चिन्हित पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए नवीन आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले चिन्हित पात्र गैर–अनुसूचित जाति/ जनजाति (सामान्य+ओबीसी+ अल्पसंख्यक) के परिवारों के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत।
- योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं निधियां का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित किया जावे जिले के कुल लक्ष्यों में से 15 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु जिला स्तर पर रखे जावे एवं इनका आवंटन ग्राम पंचायतवार पात्र अल्पसंख्यक परिवारों की उपलब्धतता के अनुपात में जिला परिषद् स्तर से किया जावे।
- अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने हेतु अन्य (सामान्य + ओबीसी + अल्पसंख्यक) वर्ग की स्थाई प्रतीक्षा सूची में वरीयता के अतिक्रमण में लाभांवित किया जाना है। राज्य में ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल योजना'' के तहत निर्धारित लक्ष्य का 15 प्रतिशत लक्ष्य लक्षित समूह के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है एवं इन लक्ष्यों को राज्य स्तर पर आरक्षित कर आवश्यकतानुसार इनका अंतर्जिला आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

नोट :– राज्य में पात्र अल्पसंख्यक हेतु मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया हैं।

- शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत। प्रत्येक वर्ग के कुल लक्ष्यों में से 3 प्रतिशत लक्ष्य विकलांगों हेतु रखे जावे। विकलांगों को लाभान्वित करने हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची में वरीयता की अनदेखी करके सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लाभान्वित कराया जावे।

## लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता

लाभार्थियों के चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है :–

1. मुक्त बंधुवा मजदूर।
2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जो अत्याचारों से पीड़ित हैं।
3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं तथा अविवाहित महिलाएं हैं।
4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे – दंगें से पीड़ित हैं।
5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्य परिवार।
6. कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा/ अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/ परिवार।
7. गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार।
8 शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति
9 अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी।
10 विकासात्मक परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति, खानाबदोश/ अर्द्ध खानाबदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी, शारीरिक/मानसिक अपंग सदस्यों वाले परिवार।

## लाभार्थियों की भागीदारी

1 नवीन आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जावेगा। लाभार्थी निर्माण के लिए जरूरी निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर सकते है, अपने आप ही कुशल श्रमिकों को लगा सकते हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते हैं।

2 जिला परिषद की प्रशासनिक स्वीकृति के 15 दिवस में लाभार्थियों को फोटो सहित आवेदन पत्र (प्रपत्र–1) एवं बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति एवं आवास स्थल की भूमि का पट्टा अथवा अन्य विवरण, ग्राम सेवक को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेवें।
नोटः– *लाभार्थी को अपना बचत खाता यथा सम्भव बैंक में ही खुलवाना चाहिए ताकि खाते में जिला परिषद से राशि का हस्तान्तरण शीघ्र हो सके। जहाँ बैंक शाखा सुविधाजनक नहीं हो वहां लाभार्थी अपना खाता पोस्ट ऑफिस में भी (महा-नरेगा के खाते से भिन्न) खुलवा सकता है, परन्तु जिला परिषद से राशि हस्तान्तरण में अधिक समय लगेगा।*

3. जिला परिषद से वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम् किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में जमा होने की तिथि से एक माह में नवीन आवास का निर्माण न्यूनतम 20 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रारम्भ कर रिपोर्ट ग्राम सेवक को देनी है तथा 3 माह में आवास का निर्माण लिंटल लेवल तक पूर्ण कर, निर्माणाधीन आवास का फोटो एवं द्वितीय किश्त की मांग का आवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र में ग्राम सेवक को देकर प्राप्ति रसीद लेवें।

4. जिला परिषद से द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में जमा होने की तिथि से तीन माह में छत, खिडकी एवं दरवाजों का कार्य पूर्ण कर, साईन बोर्ड सहित लाभार्थी एवं आवास का फोटो के साथ तृतीय किश्त की मांग का आवेदन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम सेवक को देकर प्राप्ति रसीद लेवें। आवास की छत, खिडकी, दरवाजे का कार्य पूर्ण करने के साथ–साथ लाभार्थी को मकान की दीवार पर मुख्य दरवाजे के दांयी अथवा बांयी ओर ऑयल पेन्ट से एक साईन बोर्ड 3 फुट X 3 फुट आकार का दिशा–निर्देशों के पैरा–5.6 में निर्धारित प्रारूप में बनवाना होगा।

4. जिला परिषद से तृतीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में जमा होने पर लाभार्थी को अपने आवास के प्लास्टर/पोइंटिग, आंगन, रंगाई–पुताई आदि (finishing) का कार्य शीघ्र कराना सुनिश्चित करना चाहिये।

5. आवास निर्माण में योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय को लाभार्थी को स्वयं के संसाधनों से अपने स्तर पर वहन करना होगा।
6. नवीन आवास निर्माण के अलावा स्वच्छ शौचालय के निर्माण करने पर ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' से अतिरिक्त अनुदान सहायता देय होगी।
7 योजना से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई, शिकायत, जानकारी, सुझाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी, जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.ग्रा.प्र.) एवं राज्य स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण विकास), मुख्य लेखाधिकारी (पंचायती राज), शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज से सम्पर्क किया जा सकता है।

## आवास का आबंटन

''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' में आवासों की स्वीकृति लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होनी चाहिए। विकल्पतः इसे पति एवं पत्नि दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता हैं। तथापि यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध / जीवित नहीं है, तो आवास, पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष सदस्य को भी आवंटित किया जा सकता है। विकलांग की स्थिति में विकलांग व्यक्ति (पुरूष / महिला) के नाम से आवास स्वीकृत किया जाना चाहिए।

## आवासों के निर्माण के लिए इकाई अनुदान सहायता :-

नये आवास के निर्माण के लिए ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' के अंतर्गत प्रति इकाई अनुदान सहायता की राशि इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर रहेगी, जो वर्तमान निम्नानुसार है :–

न्यूनतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्र के नये आवास निर्माण मय धूंआ रहित चूल्हा निर्माण हेतु वर्तमान अनुदान सहायता राशि प्रत्येक पात्र अनुसूचित जाति के परिवार हेतु रूपये 50,000 / – तथा अन्य जाति के पात्र प्रत्येक परिवार हेतु रूपये 45,000 / – होगी।

## स्वच्छ शौचालय निर्माण एवं अतिरिक्त अनुदान सहायता –

''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' में स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम'' के तहत कराये जाने की स्वीकृति पृथक से स्वीकृति जारी कराई जावे।स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि 2,200 / – है। आवास के साथ स्वच्छ शौचालय बनाना अनिवार्य नहीं है। यह लाभार्थी की स्वेच्छा पर है। अतः ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' में आवास के साथ स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं कराने पर आवास की अनुदान राशि में से इसकी कोई कटौती नहीं की जावे।

## आवास निर्माण की अवधि-

लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की प्रथम किशत प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः एक महिने की अवधि में आवास का निर्माण प्रारम्भ कर लगभग 5–6 माह की अवधि में पूर्ण कराना होगा। किसी भी स्थिति में आवास निर्माण में 8–10 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष में आवास को पूर्ण कराना होगा।

## नवीन आवास हेतु आवेदन पत्र (प्रपत्र–1)

प्रपत्र–1
(नवीन आवास हेतु)

## मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना का आवेदन–पत्र

(आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्रामसेवक के माध्यम से)

ग्राम पंचायत.................................... पंचायत समिति ....................................

आवेदक का फोटो ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित

(जिला परिषद के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश कमांक ....................दिनांक....................क.सं.................... के कम में)

पात्रता : बी.पी.एल. सेन्सस–2002 में चयनित परिवारों में से "इन्दिरा आवास" की स्थाई प्रतीक्षा सूची (आवासहीन "0" कोड एवं कच्चा आवास "1" कोड के ऐसे परिवार पात्र है, जिन्होने पूर्व में किसी भी योजनान्तर्गत आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है)

1. आवेदक का नाम– श्री/श्रीमती ....................................जाति ....................
2. पति / पिता का नाम ....................................................................
3. परिवार के मुखिया का नाम (बीपीएल सूची– 2002 के अनुसार)....................................
4. आवेदक का (बीपीएल सूची–2002 के अनुसार) फार्म कमांक. ....................................
5. प्रार्थी का वर्ग .................................... (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अल्प संख्यक/ओबीसी/अन्य )
6. आवेदक का इंदिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची में कमांक ....................................एवं प्राप्तांक....................
7. आवेदक (विकलांग/विधवा/एकल महिला) ....................................(यदि विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पूर्ण पता– (मोहल्ला/ढाणी/मगरा).................................................................... ग्राम....................ग्रा.पं....................पोस्ट....................पं.स....................जिला....................
9. प्रार्थी का दूरभाष नं....................मोबाइल नं....................नजदीकी टेलीफोन नं....................
10. पट्टा धारक का पूरा नाम....................................................................
11. यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि का ब्यौरा :– ....................................................................
12. प्रस्तावित जमीन – चारागाह/जोहड पायतन/राजकीय भूमि पर अतिकमण का स्थल नहीं है।
13. मैं/मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, एवं वर्तमान में पक्का मकान नहीं है।
14. बैंक/पोस्ट आफिस खाता संख्या....................शाखा....................स्थान। (पास बुक की फोटो प्रति संलगन करें)
15. सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण अधिकतम 5–6 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्व हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।

संलग्नः– 1. बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक की फोटो प्रति।
2. प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित विवरण की प्रति।
3. विकलांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति।

आवेदक के हस्ताक्षर ....................
(नाम ....................)
हस्ताक्षर प्रमाणित.................... (ग्राम सेवक द्वारा)

सम्पूर्ण आवेदन ग्रामसेवक को प्रस्तुत करने का दिनांक ....................

---

–:: प्राप्ति रसीद ::–

श्री/श्रीमती ....................................पुत्र/पत्नि श्री....................................ग्रा.पं....................का इन्दिरा आवास हेतु आवेदन (प्रपत्र–1) मय फोटो एवं सलंग्न विवरण दिनांक....................को प्राप्त किया।

ग्राम सेवक के हस्ताक्षर....................
(नाम ....................)
सील

## ग्रामसेवक का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री.............................................. पत्नि/पिता .................................. वर्ग..............बीपीएल फार्म कं......................................का नाम "इन्दिरा आवास योजना" की स्थाई प्रतीक्षा सूची में कमांक..............पर दर्ज है तथा प्राप्तांक .................. हैं। बचत खाता संख्या .................................. (बैंक/पोस्ट ऑफिस) ..........................शाखा.......................... में हैं। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक ....................तक आवेदक का कोई पक्का आवास नहीं है। पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा नवीन मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास हेतु पात्र हैं। आवेदन मय फोटो एवं सलंग्न दस्तावेजों की एक–एक फोटो प्रति ग्राम पंचायत की पत्रावली में रख ली है एवं ग्राम पंचायत के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या...........पर क.सं............ पर नाम दर्ज कर आवेदक को प्राप्ति रसीद दे दी है तथा फोटो सहित मूल आवेदन (प्रपत्र–1) एवं सलंग्न दस्तावेजों को पंचायत समिति में दिनांक .............. को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद ले ली है, जिसे पंचायत के रैकार्ड में रखा जावेगा। आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित जमीन चरागाह/ जोहड, पायतन/ राजकीय भूमि पर अतिकमण का स्थल नहीं हैं। इनका फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते है।

(अपात्र के लिए लाल स्याही से मोटे अक्षरों में नोट अंकित कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करें )

संलग्नः–

1. बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक की फोटो प्रति।
2. प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित विवरण की प्रति।
3. विकलांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति।

हस्ताक्षर ग्राम सेवक ..............

(नाम.................................)

सील

---

कार्यालय पंचायत समिति...............................................

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र.)

जिला परिषद.............................

उपरोक्तानुसार लाभार्थी का आवेदन पत्र एवं ग्राम सेवक की प्राप्त रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त मूल आवेदन (प्रपत्र–1) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज जिला परिषद को, अनुदान सहायता की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु भिजवाया जा रहा है। इनकी फोटो प्रति पंचायत समिति की पत्रावली में रख ली है एवं पंचायत समिति के रेकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज कर लिया है।

विकास अधिकारी

दिनांक........................

पं.सं..............................................

---

नोट :–

1. आवेदक के अपात्र पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
2. आवेदक के पात्र होने पर जिला परिषद् वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त की अनुदान सहायता राशि उसके बचत खाते में सीधे ही जमा करायेगी।
3. प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि के तत्काल बाद न्यूनतम 20 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ कर अधिकतम 5–6 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। लिंटल लेवल तक नवीन आवास का निर्माण कार्य होने पर द्वितीय किश्त के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र–3–4) में ग्राम सेवक को प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद ले ली जावे।

# अनुजा निगम योजनाएं

1 बैंकिग ऋण योजना –

- पोप, शहरी व ग्रामीण
- ऑटो रिक्सा
- उन्नत गाय भैंस
- व्यक्तिगत पम्पसैट

क्रियान्वयन प्रक्रिया –

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने पर निगम द्वारा प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपये जो भी कम हो, का अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है। आवेदन पर जिले के निगम कार्यालय/पंचायत समिति/नगर/पालिका/नगर निगम से निःशुल्क प्राप्त कर वहीं पर जमा कराये जा सकते हैं।

2 गैर बैंकिग ऋण योजना –

- कूप ब्लास्टिंग
- कूप विद्युतिकरण
- कृषि यन्त्र
- कार्यशाला

क्रियान्वयन प्रक्रिया –

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त श्रेणी के कृषकों को कूप ब्लास्टिंग एवं कृषि कुओं पर विद्युतिकरण हेतु योजना इकाई का 50 प्रतिशत या 10000 रूपये अधिकतम, जो भी कम हो, अनुदान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कृषि यन्त्र योजनान्तर्गत 3000 रूपेय तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता हैं कार्यशाला योजनान्तर्गत दस्तकारों/शिल्पियों को कार्य करने हेतु कार्यशाला निर्माण हेतु अधिकतम 10000 रूपये का अनुदान दिया जाता है।

3 अन्य योजनाऐं–

- दक्षता विकास
- आधारभूत सुविधाएं

क्रियान्वयन प्रक्रिया –

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाता है। अनुसूचित जाति बाहुल्य सम्बल ग्रामें में आय सृजित गतिविधियों हेतु आधारभूत ढांचा विकास कार्य करवाये जाते हैं।

# सम्बल ग्राम विकास योजना

## योजना को लाभ प्राप्त करने की पात्रता –

वह ग्राम जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 40 प्रतिशत या अधिक है

## आवेदन कहां करे –

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय/परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय/पंचायत समिति/जिला परिषद कार्यालय

## योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाएं –

एक वर्ष में प्रत्येक ग्राम के लिए 5 लाख रूपये

## सहायता कैसे उपलब्ध होगी –

प्रत्येक पात्र गांव के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत काम के लिए आवश्यक राशि बजट उपलब्ध होने पर प्रदान की जाती है और जिला स्तर से कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

## यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त न हो तो अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह–

जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय/परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय/जिला परिषद कार्यालय से सम्पर्क करें।

## आवेदन किसे दें –

सम्बल ग्राम से सम्बन्धित सरपंच द्वारा योजना का प्रस्ताव मय तकमीना के (कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता सम्बन्धित विभाग से) तैयार करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय/परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय/जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के मार्फत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें।

# एससी/एसटी अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों के लिए राहत राशि के मापदण्ड

| क्र. सं. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| 1. | अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पिलाना या खिलाना<br>धारा– 3 (1) (i) | प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 25,000 रू या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर अपमान क्षति तथा मानहानि सहने क अनुपात में होगा। |
| 2. | घृणात्मक पदार्थ इक्ट्ठा कर क्षति पहुंचाना अपमानित करना तंग करना<br>धारा– 3 (1) (ii) | अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू. तक।<br>25 प्रतिशित जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए।<br>75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचले न्यायालयों द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया जाये। |
| 3. | नग्न कर चेहरा पोतकर अनादर सूचक कार्य<br>धारा– 3 (1) (iii) | अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू. तक।<br>25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए।<br>75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचले न्यायालयों द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया जाये। |
| 4. | सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि<br>धारा– 3 (1) (iv) | अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000 रू. या उससे अधिक |
| 5. | भूमि परिसर या जल से संबधित<br>धारा– 3 (1) (v) | भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुनः की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तब पूरा भुगतान किया जायेगा। |
| 6. | बेगार या बलातश्रम या बंधुआ मजदूरी<br>धारा– 3 (1) (vi) | अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू. तक।<br>25 प्रतिशित जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए।<br>75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचले न्यायालयों द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया जाये। |
| 7. | मतदान के अधिकार के संबंध में<br>धारा– 3 (1) (vii) | अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीडित व्यक्ति को 20,000 रू. तक |
| 8. | मिथ्य द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही<br>धारा– 3 (1) (viii) | अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू. तक।<br>25 प्रतिशित जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए।<br>75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचले न्यायालयों द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया जाये। |
| 9. | मिथ्या या तुच्छ जानकारी<br>धारा– 3 (1) (ix) | |
| 10. | सार्वजनिक स्थल पर अनादर अभित्रास और अपमान<br>धारा– 3 (1) (x) | |
| 11. | किसी महिला की लज्जा भंग करना<br>धारा– 3 (1) (xi) | अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,00,000 रू.। चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान विचारण की समाप्ति पर किया जाये। |
| 12. | माहिला के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक शोषण करना<br>धारा– 3 (1) (xii) | |
| 13. | पानी गन्दा करना<br>धारा– 3 (1) (xiii) | 1,00,000 रू. तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए या उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए। |
| 14. | मार्ग के उपयोग के आधारभूत अधिकार से वंचित करना<br>धारा– 3 (1) (xiv) | 1,00,000 रू. तक या मार्ग के अधिकार के पुनः बहाल करने की पूरी लागत और नुकसान हुआ है यदि कोई हो उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर |
| 15. | किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना<br>धारा– 3 (1) (xv) | स्थल बहाल करना/ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रू. का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण यदि नष्ट किया गया हो पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाए। |
| 16. | मिथ्या साक्ष्य देना<br>धारा– 3 (2) (i) & (ii) | कम से कम 1,00,000 रू. या हुए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए आर 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000 रू.। |
| 17. | भारतीय दण्ड संहित के अधीन 10 वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना<br>धारा– 3 (2) | यदि अनसूचित में अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंध किया हुआ हो तो इस राशि में अंतर होगा। |
| 18. | किसी लोक सेवक के हाथो उत्पीड़न<br>धारा– 3 (2) (iii) | उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकार 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए किया जाएगा। |

## सामजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अशक्तता (विकलांग)। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 4–2/83–एच डब्ल्यु–3 तारीख 6/8/1986 में शारीरिक और मानसिक अशक्तता की परिभाषाएं दी गई है (क) 100 प्रतिशत अशक्तता | |
| | (i) कुटुम्ब का न कमाने वाला सदस्य | अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 रू. 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर |
| | (ii) कुटुम्ब का कमाने वाला सदस्य | अपराध से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2,00,000 रू. 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर। |
| | (iii) जहां अशक्तता 100 प्रतिशत से कम है। | उपर्युक्त क(1) और (2) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा और भुगतान के चरण भी वही रहेंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000 रू. से कम नही और कमाने वाले सदस्य को 30,000 रू. से कम नही। |
| 20 | हत्या/मृत्यु<br>(क) परिवार का ना कमाने वाला सदस्य<br>(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य | कम से कम 1 लाख रूपये, 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।<br>कम से कम 2 लाख रूपये, 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर। |
| 21 | हत्या, मृत्यु , नरसंहार, बलात्संग, सामुहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती। | उपयुक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाये –<br>(I) अनुसूचित जाति/अनु:जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा या अन्य आश्रितों को 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीदकर।<br>(II) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण पोषण का प्रा खर्च<br>(III) तीन माह की अवधि तक बर्तन चावल, दाल, गेहूँ आदि की व्यवस्था। |
| 22 | पूर्णतया नष्ट करना/मकान जलाना | जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया है वहां सरकारी खर्च पर मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये। |

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 11 के अन्तर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्ति,उसके आश्रित, तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भता, भरण–पोषण न्यय और परिवहन सुविधाएं देय है :–

1. अत्याचार से पीडित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अनवेषण या सुनवाई या विचारण तक का एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाडा अथवा वास्तविक बस व टैक्सी भाडे का संदाय किया जाएगा।
2. जिला मजिस्ट्रेट या उप खण्ड मजिस्ट्रेट अथवा या अनय कोर्ठ कार्य पालक मजिस्टेट अत्याचार पीडित व्यक्तियों ओर साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी पुलिस अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधाऐं देन अथवा उसके पूरे समुदाय की प्रति पूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेगे।
3. प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अव्यस्क व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक का नि:शक्त व्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा और उसे भी समस्त सुविधाऐं दय होगी।
4. जन अधिनियम की धारा 3 के अधिन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्टेअ या उप खण्ड मजिस्टेट या अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्अेट अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए औषधियों विशेष परामर्श, रक्तदान, बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन, और फला के लिए संधाय की प्रति पूर्ति करेगे।

(स्रोत :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थार सरकार जयपुर द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2009 को जनहित में प्रशारित विज्ञिप्ति। )

स्रोत – 1. डॉ. अम्बेड़कर फाउन्डेशन, नई दिल्ली।
2. दलितों के लिए राज्य की कल्याणकारी याजनाए (बार्क, जयपुर)
3. प्रशासनिक प्रतिवेदन 2009–2010 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर

# दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
## के महत्वपूर्ण प्रकाशन

दलित उत्पीड़न और विधिक उपचार

कृषि भूमि की समस्याएं एवं समाधान

कार्यकर्ता क्षमतावर्धन मैन्यूअल

राजस्थान की दलित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन

दलित भूमि एवं आजिविका अधिकार मैन्यूअल

महानरेगा मैन्यूअल

अधिवक्ता क्षमतावर्धन मैन्यूअल

दौसा व अलवर जिले की दलित महिला सरपंचों का अध्ययन

राजस्थान दलित इलैक्शन वॉच रिपोर्ट ( विधान सभा )

दलित इलैक्शन वॉच रिपोर्ट पंचायत चुनाव-2010

राजस्थान पंचायत राज मैन्यूअल

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए मैन्यूअल

दलित दरबार

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएं

दलितों के संवैधानिक अधिकार

मूकों की आवाज

राजस्थान में विधिक सहायता एवं लोक अदालत एक अध्ययन

डॉ. अम्बेडकर और उनके विचार